



कोलकाता पत्तन न्यास
KOLKATA PORT TRUST

संविदा की सामान्य शर्ते
General Conditions of Contract
प्ररूप और करार
Forms and Agreements

जुलाई/ JULY 2014

संविदा की सामान्य शर्तें
General Conditions of Contract
प्ररूप और करार
Forms and Agreements

न्यासी मंडल द्वारा दिनांक 27 मई, 1993 को संपन्न 6वीं बैठक में संकल्प सं. 92 का धीन नुमोदित
Sanctioned by the Trustees under Resolution No. 92 of the 6th Meeting held on
27th May, 1993

जुलाई, 2014 को संपन्न न्यासी मंडल की बैठक में नुमोदित परिशिष्ट सहित
Including Addendum Sanctioned by the Trustees Meeting held on July, 2014

कोलकाता पत्तन न्यास
KOLKATA PORT TRUST

कोलकाता गोदी प्रणाली
KOLKATA DOCK SYSTEM

हल्दिया गोदी परिसर
HALDIA DOCK COMPLEX

जुलाई/ JULY 2014

संविदा की सामान्य शर्तें / GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

खंड / CLAUSE	पृष्ठ/PAGES
1 संविदा की सामान्य शर्तों में संशोधन AMENDMENT TO GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT	-- जीसी 1 ... GC 1
2 परिभाषा DEFINITION	-- जीसी 2 - जीसी 3 ... GC 2 – GC 3
3 इंजीनियर और इंजीनियर का प्रतिनिधि का कर्तव्य एवं शक्तियां / DUTIES & POWERS OF ENGINEER & ENGINEER'S REPRESENTATIVE	-- जीसी 3 – जीसी 5 -- GC 3 – GC 5
4 निविदा/प्रस्ताव और उसकी पूर्वापक्षाएं THE TENDER/OFFER AND ITS PRE-REQUISITES	-- जीसी 5 - जीसी 9 ... GC 5 – GC 9
5 संविदा और संविदाकारों का सामान्य दायित्व THE CONTRACT & GENERAL OBLIGATIONS OF CONTRACTOR	... जीसी 9-जीसी 14 -- GC 9 – GC 14
6. कार्य का प्रारंभ, निष्पादन और समापन COMMENCEMENT, EXECUTION AND COMPLETION OF WORK	... जीसी14-जीसी 17 -- GC14 – GC 17
7 भुगतान की शर्तें TERMS OF PAYMENT	... जीसी18-जीसी 20 -- GC18 – GC 20
8 फरफार और उसका मूल्यांकन VARIATION AND ITS VALUATION	... जीसी20-जीसी 22 -- GC20 – GC 22
9 विलंब/ समापन समय का विस्तार / परिनिर्धारित नुकसानी / संविदा का पर्यवसान DELAY/EXTENSION OF COMPLETION TIME/ LIQUIDATED DAMAGE/ TERMINATION OF CONTRACT	... जीसी22-जीसी 24 -- GC22 – GC 24

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 10 | प्रतिभूति जमाराशि का □ नुरक्षण एवं वापसी
MAINTENANCE AND REFUND OF SECURITY DEPOSIT | ... जीसी24-जीसी 25
-- GC24 – GC 25 |
| 11 | संविदा दस्तावजों का निर्वचन, विवाद और माध्यस्थम्
INTERPRETATON OF CONTRACT DOCUMENTS, DISPUTES & ARBITRATION | -- जीसी25-जीसी 27
... GC25 – GC 27 |
| 12 | प्ररूप जीसी-1, जीसी-2, जीसी-3
FORMS GC-1, GC-2, GC-3 | |
| 13 | करार का प्ररूप
FORM OF AGGREMENT | |
| 14 | संविदा कानिष्पादन कालिए बैंक गारंटी हतु प्रोफ़ार्मा
PROFORMA FOR B.G. FOR CONTRACT PERFORMANCE | |
| 15 | सत्यनिष्ठा समझौता दस्तावज : प्रोफ़ार्मा
INTEGRITY PACT DOCUMENT: PROFORMA | |
| 16 | प्रारूप : कओपीटी एवं ट्रांसपरेन्सी इंटरनश्नल इंडिया क बीच समझौता ज्ञापन
DRAFT Memorandum of Understanding between K°o.P.T. & Transparency International India | |

जीसी/GC -1

संविदा की सामान्य शर्तों में संशोधन **AMENDMENT TO GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT**

- खंड-3.4 निविदा/ प्रस्ताव और उसकी पूर्वपेक्षाएं
- CI-3.4 THE TENDER /OFFER & ITS PRE-REQUISITES

उप-खंड (क) के □ धीन सारणी
Table under sub-clause (a)

पूर्ववर्ती /PREVIOUS			यथासंशोधित/ AS AMENDED		
कार्यका प्राक्कलिप्त मूल्य Estimated Value of Work	बयाना राशि Amount of Earnest Money		कार्य का प्राक्कलिप्त मूल्य Estimated Value of Work	बयाना राशि Amount of Earnest Money	
	संविदागत कार्य हेतु For Works Contract	केवल सामग्री या उपकरण की आपूर्ति के लिए संविदा हेतु For Contract of Supplying Materials or Equipment only		संविदागत कार्य हेतु For Works Contract	केवल सामग्री या उपकरण की आपूर्ति के लिए संविदा हेतु For Contract of Supplying Materials or Equipment only
रु. 1,00,000=00 तक Up to Rs. 1,00,000=00	कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का 5% 5% of the estimated value of work	कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का 1% 1% of the estimated value of work	रु.10 करोड़ तक Upto Rs. 10 Crore	कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का 2% 2% of the estimated value of work	कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का 1% 1% of the estimated value of work
रु. 1,00,000.00 से तक Over Rs. 1,00,000.00	तक रु.20,000/ और न्यूनतम रु. 5,000/- के मध्यम कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का 2% 2% of the estimated value of work subject to a maximum of Rs. 20,000/- and minimum of Rs. 5,000/-	तक रु. 10,000/- और न्यूनतम रु. 1,000/- के मध्यम कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का ½% ½% of the estimated value of work subject to a maximum of Rs. 10,000/- and minimum of Rs. 1,000/-.	रु.10 करोड़ से तक Over Rs. 10 Crore	प्रथम रु. 10 करोड़ पर 2% + शेष पर 1% 2% on first Rs. 10 Crore + 1% on the balance	तक रु.10,000/- और न्यूनतम रु.1,000/- के मध्यम कार्य के प्राक्कलिप्त मूल्य का ½% ½% of the estimated value of work subject to a maximum of Rs. 10,000/- and minimum of Rs. 1,000/-.

[दिनांक 26.02.2013 को संपन्न न्यासी मंडल की बैठक का संकल्प सं. 210 का धीन न्यासी मंडल द्वारा नुमोदित संशोधन]

[AMENDMENT SANCTIONED BY THE BOARD OF TRUSTEES VIDE RESOLUTION NO 210 OF THE TRUSTEES' MEETING HELD ON 26.02.2013]

उप-खंड (घ) के धीन सारणी

Table under sub-clause (d)

पूर्ववर्ती/PREVIOUS			यथासंशोधित/AS AMENDED		
रजिस्ट्रीकरण की श्रेणी	नियत प्रतिभूति की राशि	प्रत्येक निविदा की वित्तीय सीमा	रजिस्ट्रीकरण की श्रेणी	नियत प्रतिभूति की राशि	प्रत्येक निविदा की वित्तीय सीमा
Class of Registration	Amount Of Fixed Security	Financial Limit Of Each Tender	Class of Registration	Amount Of Fixed Security	Financial Limit Of Each Tender
क	रु°10,000/-	रु. 2,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा	क	रु°50,000/-	रु. 10,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा
A	Rs 10,000/-	Any tender priced upto Rs 2,00,000/-	A	Rs 50,000/-	Any tender priced up to Rs 10,00,000/-
ख	रु°5,000/-	रु. 1,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा	ख	रु°25,000/-	रु. 5,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा
B	Rs 5,000/-	Any tender priced upto Rs 1,00,000/-	B	Rs 25,000/-	Any tender priced upto Rs 5,00,000/-
ग	रु°2,500/-	रु. 50,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा	ग	रु°15,000/-	रु. 3,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा
C	Rs 2,500/-	Any tender priced upto Rs 50,000/-	C	Rs 15,000/-	Any tender priced upto Rs 3,00,000/-

[दिनांक 12.10.2012 को संपन्न न्यासी मंडल की बैठक का संकल्प सं. 82 का धीन न्यासी मंडल द्वारा
नुमोदित संशोधन]

[AMENDMENT SANCTIONED BY THE BOARD OF TRUSTEES VIDE RESOLUTION NO 82
OF THE TRUSTEES' MEETING HELD ON 12.10.2012]

जीसी /GC – 2

1. परिभाषाएं /DEFINITIONS

- 1.0 इसमें इसके पश्चात् यथापरिभाषित संविदा में, प्रसंग द्वारा अन्यथा पक्षों के सिवाय, निम्नलिखित शब्द और अभिव्यक्ति से इसमें उन्हें समनुदेशितार्थ भिन्न होंगे।

In the contract, as hereinafter defined, the following words and expressions shall have the meaning herein assigned to them, except where the context otherwise required.

- 1.1 "नियोक्ता" या "बोर्ड" या "न्यासी मंडल" से कोलकाता पोर्ट का न्यासी मंडल भिन्न है जो महापोर्ट न्यास अधिनियम 1963 की धारा 3 के अधीन गठित एक निगमित निकाय है और जिसमें उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं समनुदेशित शामिल हैं।

"Employer" or "Board" or "Trustees" means of the Board of Trustees for the Port of Calcutta, a body corporate under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963, including their successors, representatives and assigns. Employer

- 1.2 "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष भिन्न है और इसमें महापोर्ट न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 14 और 14क के अधीन उसके स्थान पर कार्य करने हेतु नियुक्त व्यक्ति शामिल है। अध्यक्ष

"Chairman" means the Chairman of the Board and includes the person appointed to act in his place under Sections 14 and 14A of the Major Port Trusts Act, 1963 Chairman

- 1.3 "संविदाकार" से ऐसा/ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी भिन्न है जिसकी/जिनकी निविदा / प्रस्ताव न्यासी मंडल द्वारा स्वीकार किया गया हो और इसमें बोर्ड / अध्यक्ष द्वारा अनुमति संविदाकार के प्रतिनिधि, वारिस, उत्तराधिकारी और समनुदेशित, यदि कोई हों, शामिल हैं। संविदाकार

"Contractor" means the person or persons, Firm or Company whose tender/offer has been accepted by the Trustees and includes the Contractor's representatives, heirs, successor and assigns, if any, permitted by the Board/Chairman Contractor

- 1.4 "इंजीनियर" से बोर्ड का ऐसा पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसने उसकी ओर से संविदा आमंत्रित की है और उसमें प्रबंधक (संरचना व नागरिक सुविधाएँ) या ऐसा अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे ऐसे नाम निर्दिष्ट "इंजीनियर" के स्थान पर संविदा के प्रयोजनार्थ इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए संविदाकार को लिखित सूचना देकर नियोजक द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया गया हो।
"Engineer" means the Board's official who has invited the tender on its behalf and includes the Manager (Infrastructure & Civic Facilities) or other official as may be appointed from time to time by the Employer, with written notification to the Contractor, to act as Engineer for the purpose of the Contract, in place of the "Engineer" so designated.
- इंजीनियर
Engineer
- 1.5 "इंजीनियर के प्रतिनिधि" से इंजीनियर का कोई अधीनस्थ या सहायक या कोई ऐसा अन्य पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे उसके खंड 2.4 से 2.6 तक में वर्णित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इंजीनियर द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया गया हो।
"Engineer's Representative" means any subordinate or Assistant to the Engineer or any other official appointed from time to time by the Engineer to perform the duties set forth in Clauses 2.4 to 2.6 hereof.
- इंजीनियर के प्रतिनिधि
Engineer's Representative
- 1.6 "कार्य" से संविदा के अनुसार निष्पादित किया जानेवाला कार्य अभिप्रेत है और उसमें प्राधिकृत "परिष्कार कार्य" तथा "अधिक कार्य" एवं "स्थायी कार्य" शामिल हैं।
"Work" means the work to be executed in accordance with the Contract and includes authorised "Extra Works" and 'Excess Works" and "Temporary Works".
- कार्य
Works
- 1.7 'स्थायी कार्य' से कार्य के निष्पादन, समापन या निरीक्षण में या उनके लिए पेशेवर सभी प्रकार के सभी स्थायी कार्य अभिप्रेत हैं और उसमें (द्वारा पूर्व में वर्णित परिभाषाओं को सीमित किए बिना) सभी स्थायी निर्माण, पाड़ बंधाई, सीढ़ियों का निर्माण, लट्टे की जोड़ाई, पंकी की सोखाई, साफ़ कार्यालय, सीमेंट एवं अन्य गोदाम, भवन सामग्री को ढकट्टा करने के लिए प्लेफार्म और बिन्स, जैट्टी, स्थायी मार्ग और सड़कें, स्थायी पुलिया और मिश्रण प्लेफार्म शामिल हैं।
- स्थायी कार्य
स्थायी कार्य

"Temporary Works" means all temporary works of every kind required in or about the execution, completion or maintenance of the works and includes (without thereby limiting the foregoing definitions) all temporary erections, scaffolding, ladders, timbering, soaking vats, site offices, cement and other godowns, platforms and bins for stacking building materials, gantries, temporary tracks and roads, temporary culverts and mixing platforms.

Temporary works

- 1.8 "अतिरिक्त कार्य" से ऐसे कार्य अभिप्रेत हैं जो संविदा को पूरा करने के लिए इंजीनियर द्वारा पेक्षित हैं परंतु जिन्हें विशेष और पृथक् रूप से निविदा के कार्य यानी 'परिमाण बिल' की मदों की नुसूची में शामिल नहीं किया गया है। "अधिक कार्य" से परिमाण बिल की किसी मद के प्रति किए गए प्रावधान से अधिक कार्य की पेक्षित मात्रा अभिप्रेत है।

अतिरिक्त कार्य और अधिक कार्य

"Extra Works" means those works required by the Engineer for completion of the Contract which were not specifically and separately included in the schedule of items of the works i.e. (Bill of Quantities) of the tender. "Excess Works" means the required quantities of work in excess of the provision made against any item of the bill of Quantities.

Extra works and Excess works

- 1.9 'विनिर्देश' से, जबकि निविदा में अन्यथा कथित न हो, सामग्री और कारीगरी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सुसंगत और समुचित विनिर्देश/इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विनिर्देश (यदि संशोधन) अभिप्रेत है।

विनिर्देश

"Specifications" means the relevant and appropriate Bureau of Indian Standard's specifications / International Standard's Specifications (latest revisions) for materials and workmanship unless stated otherwise in the Tender.

Specification

जीसी/GC – 3

- 1.10 'रेखाचित्र' से निविदा और विनिर्देश में उल्लिखित रेखाचित्र एवं इंजीनियर रेखाचित्र द्वारा लिखित रूप में नमूदित ऐसे रेखाचित्र के उपाकरण तथा ऐसे अन्य रेखाचित्र अभिप्रेत हैं जो इंजीनियर द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में प्रस्तुत या नमूदित किए जाएं।

- "Drawings" means the drawings referred to in the Tender and specification and any modification of such drawings approved in writing by the Engineer and such other drawings as may from time to time be furnished or approved in writing by the Engineer. Drawings
- 1.11 "संविदा" से \square भिप्रे \square है और उसमें शामिल हैं- संविदा की सामान्य और विशेष शर्तें, विनिर्देश, रेखाचित्र, मूल्यांकित परिमाण बिल, निविदा / प्रस्ताव, निविदा / प्रस्ताव का स्वीकृति-पत्र, पृथक् रूप से किया गया संविदाग \square करार \square था न्यासी मंडल द्वारा उनके विवेकानुसार स्वीकृत दरों और मूल्य की \square नुसूची, यदि कोई हो। संविदा
- "Contract" means and includes the General and Special Conditions of Contract, Specifications, Drawings, priced Bill of Quantities, the Tender / Offer, the letter of acceptance of the Tender/Offer, the Contract Agreement, if separately entered into and the Schedule of Rates and Price, if any, adopted by the Trustees at their discretion. Contract
- 1.12 "संरचनात्मक संयंत्र" से कार्य या \square स्थायी कार्य के निष्पादन, समापन या \square नुरक्षण के लिए \square पेक्षित किसी भी प्रकार के सभी उपकरण या वस्तुएं \square भिप्रे \square हैं \square था \square समें (द्वारा पूर्व में वर्णित परिभाषा को सीमित किए बिना) सभी मशीनरी व उपकरण शामिल हैं, परन्तु वे सामग्री या \square न्य वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो स्थायी कार्यों का \square ग हों या होने के लिए आशयित हों। संरचनात्मक संयंत्र
- "Constructional Plant" means all appliances or things of whatsoever nature required or about the execution, completion or maintenance of the works or temporary works and includes (without thereby limiting the foregoing definition) all machinery and tools but does not include materials or other things intended to form or forming part of the permanent works. Constructional Plant
- 1.13 "कार्यस्थल" से ऐसी भूमि, जलमार्ग \square था \square न्य स्थान \square भिप्रे \square है जिसपर, जिसके नीचे, जिसमें या जिसके जरिए संविदा के प्रयोजनार्थ न्यासी मंडल द्वारा कार्य निष्पादित किया जाना हो। कार्यस्थल
- "Site" means the land, waterways and other places, on, under, in or through which the works are to be executed by the Trustees for the purpose of the Contract. Site

- 1.14 "संविदा मूल्य" से संविदाकार की निविदा/प्रस्ताव के स्वीकृति-पत्र में वर्णित राशि अभिप्रेत है जो उसमें उसके पश्चात् अंतिम प्रावधानों के अधीन इंजीनियर द्वारा की जा सकनेवाली वृद्धि एवं कटौतियों के अधीन होगी।
"Contract Price" means the sum named in the letter of acceptance of the Tender/Offer of the Contractor, subject to such additions thereto and deductions therefrom as may be made by the Engineer under the provisions here in after contained.
- संविदा मूल्य
Contract Price
- 1.15 "माह" से अंग्रेजी कैलेंडर माह अभिप्रेत है।
"Month" means English Calendar Month.
- माह
Month
- 1.16 "अपवादित जोखिम" ऐसे दंगे हैं जो बीमाकृत, युद्ध, आक्रमण, विदेशी-शत्रुओं के कार्यकलाप, शत्रुकार्य (युद्ध चाहे घोषित हो या नहीं), सिविल युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विप्लव या सैन्य या अधिकार शक्ति या न्यासी मंडल द्वारा ऐसे कार्य के किसी अंश के उपयोग या अधिभोग के रूप में हो जिसकी बाबत समापन प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो (उसमें उन सभी को सामूहिक रूप से अपवादित जोखिम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)।
"Excepted Risks" are riot in so far as it is uninsurable, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), Civil War, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power or use or occupation by the Trustees of any portion of the works in respect of which a certificate of completion has been issued (all of which are herein collectively referred to as the excepted risks).
- अपवादित जोखिम
Excepted Risks
- 1.17 जो शब्द मात्र एकवचन को द्योतित करते हैं, उसमें प्रसंग द्वारा अनेकवचन होने पर बहुवचन और विपर्ययेन भी शामिल हैं।
Word importing the singular only, also includes the plural and vice-versa where the context so requires.
- एकवचन/ बहुवचन
Singular/Plural
- 1.18 संविदा की उन सामान्य शर्तों में शीर्ष एवं पार्श्व टिप्पण को उसका अंश नहीं माना जाएगा या उसके या संविदा के निर्वचन या निर्माण में उसपर विचार नहीं किया जाएगा।
- शीर्ष/पार्श्व टिप्पण

The heading and marginal notes in these General Conditions of Contract shall not be deemed to be part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract. Headings/Marginal Notes.

- 1.19 जब तक कि अन्यथा नुबद्ध न हो, "लागत" शब्द में संविदाकार की उपरि लागत को शामिल समझा जाएगा, चाहे वह कार्य स्थल पर या बाहर उपगत हुई हो।
Unless otherwise stipulated the work "Cost" shall be deemed to include overhead costs of the Contractor, whether on or off the site.
- 2.0 इंजीनियर एवं इंजीनियर के प्रतिनिधि के कर्तव्य एवं शक्तियां
DUTIES & POWERS OF ENGINEER & ENGINEER'S REPRESENTATIVE.
- 2.1 संविदाकार, इंजीनियर की पूर्ण पृष्टि से संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य का निष्पादन, समापन एवं निरीक्षण करेगा तथा किसी प्रकार के किसी मामले में इंजीनियर के निर्देशों का पालन करेगा।
The Contractor shall execute, compete and maintain the works in terms of the contract to the entire satisfaction of the Engineer and Shall comply with the Engineer's direction on any matter whatsoever.

जीसी/GC – 4

- 2.2 संविदाकार, इंजीनियर से तथा उसके खंड 2.5 की सीमा के अधीन इंजीनियर के प्रतिनिधि से निर्देश प्राप्त करेगा।
The Contractor shall take instructions from the Engineer and subject to limitation of Clause 2.5 hereof, from the Engineer's Representative.
- 2.3 इंजीनियर को निम्नलिखित की पूरी शक्ति एवं प्राधिकार होगा:
The Engineer shall have full power and authority :

(क) कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर संविदाकार को ऐसे और रेखाचित्र आपूर्ति करना तथा निर्देश देना जो कार्य के उचित एवं पर्याप्त क्रियान्वयन तथा रखरखाव के लिए जरूरी हो और संविदाकार उसका पालन करेगा एवं उससे आबद्ध होगा।

(a) to supply to the contractor from time to time during the progress of the works such further drawings and instructions as shall be necessary for the purpose of proper and adequate execution and maintenance of the works and the contractor shall carry out and be bound by the same.

(ख) किसी भी सामग्री एवं कारीगरी के विशिष्ट विवरण में परिवर्तन या संशोधन करना तथा किसी भी समय कार्य का निरीक्षण करना।

(b) to alter or modify the specification of any material and workmanship and to inspect the work at any time.

(ग) कार्य तथा प्रिक्क कार्य में किसी फेरफार, परिवर्तन एवं संशोधन करने के लिए आदेश देना।

(c) to order for any variation, alteration and modification of the work and for extra works.

(घ) संविदा के अनुसार प्रमाण-पत्र जारी करना।

(d) to issue certificates as per contract.

(ङ) संविदाकार एवं न्यासी मंडल के दावों एवं विवादों का निपटान प्रथम रेफरी के रूप में करना।

(e) to settle the claims & disputes of the Contractor and Trustees, as the first referee.

(च) समापन समय के विस्तार की मंजूरी देना।

(f) To grant extension of completion time.

2.4 इंजीनियर का प्रतिनिधि:

The Engineer's Representative shall :

(i) कार्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगा।
watch and supervise the works.

(ii) कार्य के संबंध में प्रयुक्त होनेवाली किसी सामग्री और कारीगरी की जांच व परीक्षण करेगा।

इंजीनियर के
प्रतिनिधि की
शक्तियाँ
Power of
Engineer's
Representative.

test and examine any material to be used or workmanship employed in connection with the work.

- (iii) संविदा के ँ नुरूप न होने पर उसे किसी सामग्री ँथा कारीगरी को ँ नुमोदिं न करने की शक्ति होगी ँथा संविदाकार ँस संबंध में उसके निदेशों का पालन करेगा ।

have power to disapprove any material and workmanship not in accordance with the contract and the contractor shall comply with his direction in this regard.

- (iv) भुगणन के प्रयोजनार्थ या ँ न्यथा संविदाकार द्वारा किए गए कार्य की माप लेगा।

take measurements of work done by the contractor for the purpose of payment or otherwise.

- (v) किए गए सभी दोषपूर्ण कार्य को भंजिं करके संविदाकार के ँ पने खर्च पर उनके पुनर्निर्माण का आदेश देगा।

order demolition of defectively done work for its reconstruction all by the Contractor at his own expense.

- (vi) उसे परिवर्णन आदेश जारी करने की शक्ति होगी जिसमें डिजाणन का संशोधन ँथा कार्य के समापन समय का विस्तार ँं ँहिं नही होगा,और

have powers to issue alteration order not implying modification of design and extension of completion time of the work and

- (vii) उसे ँंजीनियर में निहिं ऐसी ँ न्य शक्तियां ँथा प्राधिकार होंगे जो उसे ँंजीनियर द्वारा संविदाकार को लिखिं रूप में सूचिं करे हुए प्रत्यायोजिं की गई हों।

have such other powers and authorities vested in the Engineer, which have been delegated to him in writing by the Engineer under intimation to the Contractor.

जीसी/GC-5

- 2.5 परंु यह हमेशा कि ँंजीनियर के प्रणिनिधि को निम्नलिखिं की कोई शक्ति नहीं होगी :

ँंजीनियर के प्रणिनिधि की शक्तियों की सीमा

Provided always that the Engineer's Representative shall have no Limitation of power :

Engineer's
Representative's
Power

(क) किसी ऐसे कार्य के लिए आदेश देना जिसमें विलंब हो या न्यासी मंडल द्वारा कोई ँ ढिरिक्क भुगणन किया गया हो,

(a) to order any work involving delay or any extra payment by the Trustees,

(ख) कार्य का या उसमें फेरफार करना; ँथा

(b) to make variation of or in the works; and

(ग) संविदा के ँ धीन संविदाकार को उसके किन्हीं कर्ण्यों या बाध्यणओं से मुक्क करना।

(c) to relieve the Contractor of any of his duties or obligations under the Contract.

2.6 परंणु निम्नानुसार यह भी कि :

Provided also as follows :

ंजीनियर की
ं ध्यारोही शक्तियाँ
Engineer's
Overriding
Power

(क) किसी कार्य या सामग्री को ँ ननुमोदिण करने में ंजीनियर के प्रणिति की विफलण का प्रणिकूल प्रभाव ँत्पश्चाण ऐसे कार्य या सामग्री को ँ ननुमोदिण करने और उसे गिराने, हणाने, णोड़ने एवं संविदाकार की लागण पर उसका पुनर्निर्माण करने का आदेश देने की ंजीनियर की शक्तियों पर नहीं पड़ेगा ँथा संविदाकार द्वारा उठाई गई किसी हानि के लिए उसके द्वारा प्रणिकर का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(a) Failure of Engineer's Representative to disapprove any work or materials shall not prejudice the power of the Engineer thereafter to disapprove such work or materials and to order the pulling down, removal, breaking-up thereof and re-constructing at the contractor's cost and the contractor shall have no claim to compensation for the loss if any sustained by him.

(ख) यदि संविदाकार ंजीनियर के प्रणिति के किसी निर्णय से ँ संणुषण होण है णो वह मामले को ंजीनियर को निर्दिष्ट करने का हकदार होगा जो ँदुपरि ऐसे निर्णय की पुष्टि करेगा, उसे उलण देगा या उसमें फेरफार करेगा।

(b) If the contractor shall be dissatisfied by reason of any decision of the Engineer's Representative, he shall be entitled to refer the matter to the Engineer who shall thereupon confirm, reverse or vary such decision.

(ग) इंजीनियर में निहित शक्तियों और प्राधिकार को उसके द्वारा लिखित रूप में अपने प्रतिनिधि को प्रत्यायोजित किए जाने की शर्तों के अनुसार इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा संविदाकार को दिया गया कोई लिखित अनुदेश या लिखित अनुमोदन संविदाकार तथा न्यासी मंडल को उस प्रकार आबद्ध करेगा मानो वह इंजीनियर द्वारा दिया गया हो जो समय-समय पर ऐसा प्रत्यायोजन कर सकता है।

(c) Any written instructions or written approval given by the Engineer's Representative to the contractor, within the terms of delegation of power and authority vested in the Engineer to his Representative in writing, shall bind the contractor and the Trustees as though it had been given by the Engineer, who may from time to time make such delegation.

3.0 निविदा/प्रस्ताव और उसकी पूर्वापेक्षाएं THE TENDER/OFFER AND ITS PRE-REQUISITES

3.1 संविदाकार द्वारा निविदा/प्रस्ताव तैयार किए जाने एवं प्रस्तुत किए जाने के पूर्व यह समझा जाएगा कि उसने कार्यस्थल का निरीक्षण व जांच कर ली है, ऐसी सभी बातों, जोखिम एवं आकस्मिकताओं पर पूरी तरह से विचार कर लिया है जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव कार्य पर उसके व्यय एवं उससे होनेवाले लाभ पर पड़ेगा तथा विशेष रूप से यह मान लिया जाएगा कि उसने निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर लिया है:

The Contractor shall, before making out and submitting his tender/offer, be deemed to have inspected and examined the site, fully considered all factors, risks and contingencies, which will have direct and indirect impact on his expenses and profit from the work and shall be specifically deemed to have taken the following aspects into consideration :

निविदा में सभी सुसंगत पहलुओं/ मुद्दों को शामिल किया जाए।

The tender must encompass all relevant aspects/ issues.

(क) कार्यस्थल तथा उसके आस-पास की उप-सतह, जलराशिक, ज्वारीय एवं जलवायु-विषयक परिस्थिति सहित उसके रूप और प्रकृति, कार्य के लिए अपेक्षित स्थायी जलमार्ग-गमनाधिकार हेतु संभावित शुल्क एवं लागत सहित कार्य-स्थल पर पहुंचने के साधन तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियां।

कार्यस्थल एवं स्थानीय परिस्थिति।

(a) The form and nature of the site and its surroundings including their sub-surface, hydrological, tidal and climatic conditions, the means of access to the site and all other local conditions, including the likely charges and costs for temporary way-leave, if any, required for the work.	Site & Local condition.
---	-------------------------

<p>(ख) रेखाचित्र, विनिर्देश, किए जानेवाले कार्य की प्रकृति व परिमाण, कार्य के लिए ँपेक्षित सामग्री एवं श्रम की गुणवत्ता, परिमाण व उपलब्धता एवं ंजीनियर की पूर्ण ंष्टि से कार्य को निष्पादित करने की आवश्यकता ंथा संविदा की सामान्य और विशेष शर्तों का ंनुपालन।</p> <p>(b) The drawings, specifications, the nature and extent of work to be executed and the quality, quantity and availability of the required materials and labour for the work and the need to execute the work to the entire satisfaction of the Engineer, and also by complying with the General and Special Conditions of Contract.</p>	<p>रेखाचित्र, विनिर्देश, किए जानेवाले कार्य की प्रकृति एवं परिमाण।</p> <p>Drawing/ Specification/ Nature & extent of work to be done.</p>
---	---

जीसी/GC - 6

(ग) कामगारों एवं कार्यस्थल-कार्यालय के लिए ंपेक्षित आवास, सभी संयंत्र, उपकरण एवं विनिर्माण सामग्री का संघटन/विघटन एवं भंडारण।	संविदाकार के श्रमिक/सामग्री हेतु आवास।
---	--

(c) The accommodation required for the workmen and site office, mobilisation/demobilisation and storage of all plant, equipment and Construction materials.	Accommodation for Contractor's men/materials.
---	---

(घ) संविदाकार के खर्च पर पीने, धोने एवं कार्य के निष्पादन के लिए जल प्राप्ति के स्रोत एवं साधन ंथा बिजली की उपलब्धता।	पीने आदि के लिए जल/बिजली।
---	---------------------------

(d) The sources and means of procurement of water for drinking, washing and execution of work, and source and availability of electrical power, all at Contractor's cost.	Water for drinking etc./Electrical power.
---	---

(ड.) संविदाकार द्वारा कर एवं शुल्क का भुगतान और सभी लागू क़ानून, ंध्यादेश और विधि ंथा उसके ंधीन बनाए गए नियमों, सार्वजनिक निकायों या किसी स्थानीय या ंन्य प्राधिकरण के नियमों, विनियमों एवं उप-विधियों का ंनुपालन और ऐसे ंनुपालन में संविदाकार की विफलता से उत्पन्न सभी प्रकार की शास्तियों एवं देयताओं के प्रति न्यासी मंडल को क्षतिपूर्ति रखना।	कर/शुल्क का भुगतान एवं सभी क़ानूनों का पालन।
---	--

<p>(e) Payment of taxes and duties and compliance of all applicable statutes, ordinances and law together with the rules made thereunder, the rules, regulations and bye-laws of public bodies or any local or other authority by the Contractor, keeping the Trustees indemnified against penalties and liabilities of every kind arising from the Contractor's failure in such compliance.</p>	<p>Payment of Taxes/ duties and observance of all statutes.</p>
--	---

<p>(च) करार के निष्पादन या बैंक गारंटी एवं क्षतिपूर्ति बांड सहित किसी विधिक लिखित के लिए सभी प्रकार के स्टाम्प-शुल्क का भुगतान।</p> <p>(f) Payment of all kinds of stamp-duty for executing the agreement or for any legal instrument including Bank Guarantees and Indemnity Bonds.</p>	<p>संविदाकार द्वारा स्टाम्प-शुल्क का भुगतान।</p> <p>Payment of Stamp Duty by the Contractor.</p>
--	--

3.2 निविदा आमंत्रण सूचना में न्यथा अनुबंधित के सिवाय न्यासी मंडल द्वारा आपूर्ति निविदा फार्म पर संविदाकार की निविदा लिखित रूप में होगी और वह आंकड़ों के मामले में त्रुटिरहित एवं पमार्जन से मुक्त होगी। भूल-सुधार, यदि कोई हो, काटकर एवं संशोधित आंकड़ों पर आद्यक्षर करके किया जाएगा।

The Contractor's tender shall be in ink on the Tender Forms supplied by the Trustees, unless stipulated otherwise in the Notice Inviting the Tender and shall be faultless in figures and free from erasing. Corrections, if any, shall only be made by scoring out and initialling of the revised figure.

<p>3.3 यदि इंजीनियर या न्यासी मंडल द्वारा पेक्षित हो तो संविदाकार अपनी निविदा में या बाद में अपने स्वामी / भागीदारों / शेयरधारकों के नाम का प्रकटीकरण पेक्षित समय पर करेंगे। इस संबंध में चूक को भंग माना जाएगा और यदि कोई संविदा की गई हो तो वह निरस्त किए जाने के दायित्व के अधीन होगी।</p> <p>If required by the Engineer or the Trustees, the Contractors in their tender or subsequently, shall disclose the names of their owners/partners/share holders at the required points of time. The failure in this regard shall be treated as a breach and a contract, if entered into, shall be liable to be cancelled.</p>	<p>स्वामी के नाम का प्रकटीकरण।</p> <p>Disclosure of Owner's name.</p>
--	---

<p>3.4 (क) जबकि निविदा आमंत्रण सूचना/प्रस्ताव में न्यथा अनुबद्ध न हो, प्रत्येक निविदा निम्नलिखित पैमाने के अनुसार परिकलित बयाना राशि के साथ प्रस्तुत की जाए।</p>	<p>बयाना राशि एवं प्रतिभूति जमा</p>
--	-------------------------------------

(a) Unless otherwise stipulated in the Notice Inviting Tender/ Offer, every tender must be submitted with Earnest Money of the amount calculated as per the following scale. Earnest Money and Security Deposit.

कार्य का अनुमानित मूल्य Estimated Value of Work	बयाना राशि Amount of Earnest Money	
	कार्य-संविदा हेतु For Works Contract	केवल सामग्री या उपकरण की आपूर्ति के लिए संविदा हेतु For Contract of Supplying Materials or Equipment only
रु.1,00,000=00 तक Up to Rs. 1,00,000=00	कार्य के अनुमानित मूल्य का 5% 5% of the estimated value of work	कार्य के अनुमानित मूल्य का 1% 1% of the estimated value of work
रु.1,00,000=00 से अधिक Over Rs. 1,00,000=00	अधिकतम रु. 20,000/- तथा न्यूनतम रु. 5000/- के मध्यम कार्य के अनुमानित मूल्य का 2% 2% of the estimated value of work subject to a maximum of Rs. 20,000/- and minimum of Rs. 5,000/-.	अधिकतम रु. 10,000/- तथा न्यूनतम रु. 1,000/- के मध्यम कार्य के अनुमानित मूल्य का ½ % ½% of the estimated value of work subject to a maximum of Rs. 10,000/- and minimum of Rs. 1,000/-.

जीसी/GC-7

(ख) बयाना राशि न्यासी मंडल के कोषाध्यक्ष के पास नकदी में या कलकत्ता पत्तन न्यास के पक्ष में आहरित किसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि बैंक की किसी कलकत्ता शाखा के बैंकर चेक या 'कलकत्ता पत्तन न्यास' के पक्ष में आहरित और, यथास्थिति, कलकत्ता/हल्दिया में देय किसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि बैंक के 'खाते में देय' ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी और उसके लिए प्रदत्त रसीद निविदा/ प्रस्ताव के साथ संलग्न कर मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएगी। बयाना राशि का भुगतान करने की विधि।

(b) Earnest Money shall be deposited with the Trustees' treasurer in cash or by Banker's Cheque of any Calcutta Branch of a Nationalised Bank of India drawn in favour of Calcutta Port Trust or in the form of any "Account Payee" Draft of any Nationalised Bank of India drawn in favour of "Calcutta Port Trust" and payable at Calcutta/Haldia, as the case may be, and the receipt granted therefor be kept attached to the Tender/Offer in the Sealed Cover.

Method of Paying E.M.

(ग) □ स्वीकृत निविदा की बयाना राशि की वापसी किसी ब्याज के बिना कलकत्ता/हल्दिया स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित 'खाते में देय' चेक के जरिए की जाएगी।

बयाना राशि की वापसी।

(c) Earnest Money of unaccepted tender shall be refunded without any interest through A/c. Payee Cheque drawn on a Nationalised Bank of Calcutta / Haldia.

Refund of E.M.

(घ) न्यासी मंडल के सूचीबद्ध (रजिस्ट्रीकृत) ऐसे संविदाकार जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रीकरण श्रेणी के अनुसार न्यासी मंडल के एफए एवं सीएओ/प्रबंधक (वित्त) के पास स्थिर प्रतिभूति जमा की है उन्हें निम्नलिखित पैमाने के अनुसार बयाना राशि जमा करने से छूट प्राप्त होगी:

रजिस्ट्रीकृत फर्मों को बयाना राशि से छूट

(d) The enlisted (registered) Contractors of the Trustees who have deposited fixed Security with the Trustees' FA & CAO / Manager (Finance) according to his Class of Registration, shall be exempt from depositing the Earnest Money, as per the following scale :

Exemption from E.M. to Regd. Firms

रजिस्ट्रीकरण-श्रेणी Class of Registration	स्थिर प्रतिभूति की राशि Amount of Fixed Security	प्रत्येक निविदा की वित्तीय सीमा Financial Limit of Each Tender
क A	रु. 25,000/- Rs.25,000/-	रु. 5,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा Any tender priced upto Rs.5,00,000/-
ख B	रु. 10,000/- Rs.10,000/-	रु. 2,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा Any tender priced up to Rs.2,00,000/-
ग C	रु. 5,000 Rs. 5,000/-	रु. 1,00,000/- तक के मूल्य की कोई निविदा Any tender priced upto Rs.1,00,000/-

(ड)(i) □ पेक्षित बयाना राशि के बिना जमा की गई निविदा □ स्वीकार किए जाने के दायित्व के □ धीन हो सकेगी।

(e)(i) Tender submitted without requisite Earnest Money may be liable to rejection.

बयाना राशि के बिना निविदा का □ स्वीकार किए जाने के दायित्व के □ धीन होना

Tender without EM liable to rejection.

(ii) यदि निविदा/प्रस्ताव की वैधता □ वधि की समाप्ति के पूर्व निविदाकार को □ की गई □ पनी दरों या निविदा/प्रस्ताव में संशोधन करता है और उन्हें न्यासी मंडल के लिए □ स्वीकार्य बना देता है और/या □ पनी निविदा/ प्रस्ताव को वापस लेता है, तो जमा की गई बयाना राशि न्यासी मंडल के विकल्प पर जब्त किए जाने के दायित्व के □ धीन हो सकेगी।

(ii) If before expiry of the validity period of his Tender/Offer, the tenderer amends his quoted rates or tender/offer making them unacceptable to the Trustees and/or withdraws his tender/offer, the Earnest Money deposited shall be liable to forfeiture at the option of the Trustees.

प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व बयाना राशि की जब्ती।

Forfeiture of E.M. before acceptance of offer.

(च) स्वीकृत निविदा/ प्रस्ताव की बयाना राशि न्यासी मंडल द्वारा प्रभूति जमा के □ श के रूप में रखी जाएगी और उसके लिए बयाना राशि की पिछली रसीद के निरसरीकरण के बाद निविदाकार को एक पृथक् ट्रेजरी रसीद जारी की जाएगी।

(f) The Earnest Money of accepted tender/offer shall be retained by the Trustees as part of the Security Deposit, for which a separate Treasury Receipt shall be issued to the Contractor after cancellation of the previous Receipt of Earnest Money.

बयाना राशि का प्रभूति जमा के □ श के रूप में परिवर्तित होना।

E.M. to be converted to part S.D.

(छ) कार्य निविदा के लिए शेष प्रभूति की वसूली सभी आनुक्रमिक बिल से (□ णिम बिल सहित, यदि आवश्यक हो) ऐसे प्रत्येक बिल में कार्य के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से कटौती करके की जाएगी जिससे कि कुल वसूली समापन स्तर तक वस्तुतः किए गए कार्य के कुल मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के □ नुसार संगणित मात्रा से □ धिक न हो।

(g) Balance security for works contract shall be recovered by deduction from all progressive Bill (including final Bill, if necessary) @ 10% of the gross value of work in each such bill, so that the total recovery may not exceed the quantum computed as per the under noted percentages of the total value of work actually done up to the stage of completion.

शेष प्रभूति जमा की वसूली का णरीका

Mode of recovery of balance S.D.

कार्य का मूल्य Value of Work	कार्य संविदा के लिए प्रतिभूति जमा का % % of Security Deposit for works contract.	केवल सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति की संविदा हेतु प्रतिभूति जमा का प्रतिशत % of Security Deposit for contract of supplying materials & equipment only.	प्रतिभूति जमा की वसूली का पैमाना Scale of S.D. recovery.
रु. 10,00,000/- तक के कार्य हेतु For works upto Rs.10,00,000/-.	10% (दस प्रतिशत) 10%(Ten percent)	1% (एक प्रतिशत) 1% (One percent)	
रु. 10,00,000/- से अधिक और रु. 20,00,000/- तक की लागत के कार्य हेतु For works costing more than Rs.10,00,000/- and upto Rs.20,00,000/-	प्रथम रु.10,00,000/- तक पर 10% + शेष पर 7½% 10% on first Rs.10,00,000/- + 7½% on the balance.	प्रथम रु. 10,00,000/- पर 1%+ शेष पर ½% 1% on first Rs.10,00,000/- + ½% on the balance.	
रु. 20,00,000/- से अधिक लागत के कार्य हेतु For works costing more than Rs.20,00,000/-	प्रथम रु. 10,00,000/- पर 10%+ अगले रु. 10,00,000/- पर 7½% + शेष पर 5% 10% on first Rs.10,00,000/- + 7½ % on the next s.10,00,000/- + 5% on the balance.	प्रथम रु. 10,00,000/- पर 1%+ अगले रु. 10,00,000/- पर ½%+ शेष पर ¼% 1% on first Rs.10,00,000/- + ½% on the next Rs.10,00,000/- + ¼% on the balance.	

(ज) उपर्युक्त प्रविष्टि के अनुसार संगणित सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति की संविदा के लिए शेष प्रविष्टि को ट्रस्टी के कोषाध्यक्ष के पास एग्रीम रूप से और आपूर्ति आदेश दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या जो नकदी के रूप में या, यथास्थिति, कलकत्ता/हल्दिया में देय कलकत्ता पत्तन न्यास के पक्ष में आहरित किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक के पानेवाले के खाते में देय ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।

आपूर्ति संविदा हेतु प्रविष्टि जमाराशि का एग्रीम रूप से जमा किया जाना

(h) Balance Security for Contract of supplying materials and equipment computed in terms of the percentages given above, shall have to be deposited with the Trustees' Treasurer in advance and within 30 days from the date of placement of supply order, either in cash or by A/c. Payee Draft of a Nationalised Bank of India drawn in favour of Calcutta Port Trust and payable at Calcutta/Haldia, as the case may be.

S.D. for supply contracts to be deposited in advance.

(झ) न्यासी मंडल द्वारा किसी भी स्तर पर धारित बयाना राशि/प्रविष्टि जमाराशि पर न्यासी मंडल द्वारा निविदाकार /संविदाकार को किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बयाना राशि/ प्रविष्टि जमाराशि पर कोई ब्याज देय नहीं

(i) No interest shall be paid by the Trustees to the Tenderer/Contractor on the amount of Earnest Money/Security Deposit held by the Trustees, at any stage.

No interest payable on E.M. /S.D

3.5 (i) इसमें इसके नीचे उप-खंड 3.5(ii) के प्रावधानों के अधीन कठौती के, यदि कोई हो, अधीन और इसमें इसके पश्चात् खंड 9*3 की शर्तों के अनुसार प्रविष्टि जमाराशि की वापसी संविदाकार को की जाएगी। तथापि, यदि संविदा में किसी एनुरक्षण एवधि का प्रावधान किया गया हो, जो प्रविष्टि जमाराशि के 50% की वापसी एनुरक्षण की आधी एवधि के समापन पर उक्त राशि के किसी कोषागार रसीद के प्रवि की जा सकती है और शेष जमाराशि की वापसी उक्त एनुरक्षण एवधि की समाप्ति पर तथा इंजीनियर द्वारा प्रपत्र जीसी-2 में कार्य का अंतिम समापन प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद एवं संविदाकार द्वारा प्रपत्र जीसी-3 में 'कोई दावा नहीं' प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाएगी।

प्रविष्टि जमाराशि की वापसी का तरीका

The Security Deposit shall be refunded to the Contractor in terms of Clause 9.3 hereinafter and subject to deduction, if any, under the provision of Sub-clause 3.5 (ii) herein below. If, however, the Contract provides for any maintenance period. 50% of the Security Deposit may be refunded against any of the treasury Receipt for that amount on expiry of half of the maintenance period and the balance deposit on the expiry of the said maintenance period and after the Engineer has certified the final completion of work in Form G.C.2 and the Contractor has submitted his "No Claim" Certificate in Form G.C.3.

(ii) यदि संविदाकार कार्य करने या संविदा की किन्हीं शर्तों का पालन/नपालन करने में चूक करता है तो न्यासी मंडल के विकल्प पर प्रतिभूति जमाराशि/बयाना राशि जब किए जाने के दायित्व के अधीन हो सकती है। प्रतिभूति जमाराशि, सावधि जमाराशि, बयाना राशि या किसी अन्य संविदा के अधीन संविदाकार को देय या देय होनेवाली किसी राशि से न्यासी मंडल अपनी किन्हीं देयराशियों की कटौती करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

The Security Deposit/Earnest Money may be liable to forfeiture at the option of the Trustees, if the Contractor fails to carry out the work or to perform/observe any of the conditions of the Contract. The Trustees shall also be at liberty to deduct any of their dues from the Security Deposit, fixed Security, Earnest Money or from any sum due or to become due to the Contractor under any other contract.

जीसी/GC – 9

- 3.6 यदि संविदा में विशेष शर्त के रूप में अनुबद्ध हो तो, संविदाकार को निविदा/प्रस्ताव के स्वीकृति-पत्र में उल्लिखित राशि एवं वधि के लिए, उक्त पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उसमें संलग्न प्रोफार्मा में किसी भारतीय राष्ट्रीय बैंक की, यथास्थिति, कलकत्ता/हल्दिया शाखा से प्रतिसंहरणीय गारंटी के रूप में निष्पादन बांड इंजीनियर के पास प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें चूक होने पर संविदा पूर्णतः इंजीनियर के विवेकानुसार समापन के दायित्वाधीन एवं बयाना राशि जब्ती के दायित्वाधीन हो सकेगी। उसे या किसी अन्य बैंक गारंटी और/या, जहां पेक्षित हो, उसका पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने की लागत का वहन संविदाकार को करना है तथा ऐसी बैंक गारंटी का समय पर पुनर्वैधीकरण कराने की एकमात्र जिम्मेदारी संविदाकार की होगी और उसमें चूक होने एवं संविदाकार द्वारा किसी संविदागत बाध्यता को पूरा नहीं किए जाने पर इंजीनियर और या न्यासी मंडल गारंटी के प्रति दावा करने और/या उसे एकपक्षीय रूप से प्रवर्तित कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।

If stipulated in the contract as a Special Condition, the contractor shall have to submit to the Engineer a performance Bond in the form of an irrevocable guarantee from Calcutta/Haldia Branch, as the case may be, of any Nationalised Bank of India in the proforma annexed hereto and for the sum and period as mentioned in the letter of acceptance of the Tender/Offer, within 15 days from the date of such letter, failing which the Contract shall be liable to be terminated and the earnest money shall be liable to forfeiture; all at the discretion of the Engineer. The cost of obtaining this or any other Bank Guarantee and/or the revalidation thereof, wherever required, has to be borne by the Contractor and it shall be his sole responsibility to arrange for timely revalidation of such Bank Guarantee, failing which and for non-fulfilment of any contractual obligation by the Contractor, the Engineer and/or the Trustees shall be at liberty to raise claim against the Guarantee and/or enforce the same unilaterally.

Bank Guarantee
in lieu of Cash
S.D. in certain
cases

- 3.7 रु०5 करोड़ से अधिक मूल्य की किसी निविदा की बाब में प्रत्येक निविदाकार/बोली लगानेवाला अपनी निविदा के साथ, जिसमें ठेके की विशेष शर्तें, ठेके की सामान्य शर्तें, बीओक्यू, बयाना राशि आदि शामिल हैं, एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसे सत्यनिष्ठ समझौदा करार कहा जाएगा और जो उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। सत्यनिष्ठा समझौदा करार का प्रोफार्मा जीसीसी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा। रु. 5 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदा के मामले में सत्यनिष्ठ समझौदा करार प्रत्येक निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली बोली दस्तावेज का अभिन्न अंग है जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

"Every Tenderer/ Bidder shall submit, in respect of a tender value of more than Rs 5 Crore, along with their tender comprising Special Conditions of Contract, General Conditions of Contract, BOQ, Earnest Money, etc. a document called Integrity Pact Agreement duly signed by their authorized representative. The Proforma of the Integrity Pact Agreement shall as specified in the GCC. In case of tender value more than Rs 5 Crore, the Integrity Pact Agreement is an essential part and parcel of bid document to be submitted by each tenderer, without which the tender shall not be considered."

4.0	संविदा एवं संविदाकार की सामान्य बाध्यता THE CONTRACT & GENERAL OBLIGATIONS OF CONTRACTOR	
4.1	(क) संविदा की दस्तावेजें अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाएंगी। (a) The contract documents shall be drawn-up in English language.	अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए English language to be used
	(ख) संविदा निम्नलिखित अधिनियमों सहित केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के भीतर यथा लागू भारत के सभी सुसंगत अधिनियमों द्वारा शासित होगी : (b) The contract shall be governed by all relevant Indian Acts as applicable only within the jurisdiction of the High Court at Calcutta, India, including the following Acts :	संविदा पर कानून की प्रयोज्यता Applicability of laws on the contract
	1. संविदा अधिनियम (भारत), 1872 The Contract Act (India), 1872.	
	2. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 The Major Port Trusts Act, 1963.	
	3. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 The Workmen's Compensation Act, 1923.	
	4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 The Minimum Wages Act, 1948.	
	5. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.	
	6. गोदी कर्मकार अधिनियम, 1948 The Dock Workers' Act, 1948.	
	7. माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 (केवल निश्चित माध्यस्थ करार के मामले में) The Arbitration and Conciliation Act (1996) (in the case of a definite Arbitration Agreement only).	

- 4.2 उसकी निविदा/प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने और इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर संविदाकार को अपने खर्च पर उसके साथ संलग्न फार्म में एक संविदा तैयार करके संविदा करेगा एवं निष्पादित करेगा। जबकि ऐसी संविदा निष्पादित नहीं की जाती है किंबल्कि उसमें उसके पूर्व 'संविदा' शब्द की परिभाषा में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों को सामूहिक रूप से संविदा माना जाएगा।

संविदाकार द्वारा संविदा निष्पादित किया जाना

After acceptance of his Tender/Offer and when called on to do so by the engineer or his representative, the contractor shall, at his own expense, enter into and execute a Contract Agreement to be prepared by him in the form annexed hereto. Until such Contract Agreement is executed, the other documents referred to in the definition of the term 'Contract' here-in-before, shall collectively be the Contract.

Contractor to Execute Contract Agreement.

- 4.3 संविदा के भागरूप पृथक्-पृथक् दस्तावेजों को परस्पर एक दूसरे का स्पष्टीकारक माना जाए। विभिन्न संविदा दस्तावेजों में कोई फर्क, स्पष्टता, चूक या गलती पाए जाने पर इंजीनियर को उसमें सुधार करने की शक्ति होगी तथा उसका विनिश्चय अंतिम और संविदा के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

संविदा दस्तावेजों का निर्वचन- इंजीनियरों की शक्ति

Several documents forming the contract are to be taken as mutually explanatory of one another. Should there be any discrepancy, ambiguity, omission or error in the various contract documents, the Engineer shall have the power to correct the same and his decision shall be final and binding on the parties to the Contract.

Interpretation of contract documents- Engineers' Power

जीसी/ GC-10

- 4.4 संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तों तथा परिमाण बिल में निर्दिष्ट रेखाचित्रों की दो प्रतियां इंजीनियर द्वारा बिना मूल्य ठेकेदारों को कार्य में उनके उपयोग के लिए प्रदान की जाएंगी परन्तु वे न्यासी मंडल की संपत्ति बनी रहेंगी और इसलिए यदि वे कार्य-स्थल पर नियमित रूप से व्यवहृत होने पर फट या विकृत न हो जाएँ तो कार्य पूरा होने पर संविदाकार उन्हें इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को वापस कर देगा।

सभी रेखाचित्र न्यासी मंडल की संपत्ति हैं

Two copies of the Drawings referred to in the general and special Conditions of Contract and in the Bill of Quantities, shall be furnished by the Engineer to the Contractors free of cost for his use on the work, but these shall remain the property of the Trustees and hence, the Contractor shall return them to the Engineer or his Representative on completion of the work, if not torn or mutilated on being regularly used at site.

All Drawings are Trustees' property.

- 4.5 संविदाकार द्वारा प्रेषित होने या कार्य के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक होने पर वह अपने खर्च पर कोई कार्य-संचालन या प्रगति-रेखाचित्र प्रमाणित एवं तैयार करेगा तथा उससे प्रेषित किए जाने पर वह उसकी प्रतियाँ किसी मूल्य के बिना इंजीनियर को उसकी सूचना और/या अनुमोदन के लिए देगा, परंतु इसका अर्थ किसी भी रूप में संविदाकार के दायित्व का इंजीनियर में प्रसारण नहीं होगा।

संविदाकार द्वारा कार्य-संचालन/ प्रगति-रेखाचित्र तैयार किया जाना

The Contractor shall prove and make at his own expense any working or progress drawings required by him or necessary for the proper execution of the works and shall, when required, furnish copies of the same free of cost to the Engineer for his information and/or approval, without meaning thereby the shifting of Contractor's responsibility on the Engineer in any way whatsoever.

Contractor to prepare working/ progress drawings

- 4.6 इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना संविदाकार संविदा या उसके किसी अंश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित, समनुदेशित नहीं करेगा या उप-पट्टे पर नहीं देगा। यदि ऐसी अनुमति दी भी गई हो तो संविदाकार - (क) किसी उप-संविदाकार, उसके एजेंटों, सेवकों या कर्मकारों द्वारा किए गए कार्य, चूक एवं उपेक्षा के लिए उसी प्रकार पूरी तरह उत्तरदायी होगा मानो वे कार्य, चूक तथा उपेक्षा स्वयं संविदाकार या उसके एजेंटों, सेवकों या कर्मकारों द्वारा की गई हो तथा (ख) संविदा से संबंधित पूर्ण एवं समस्त दायित्व और उप-पट्टे पर दिए जाने के बावजूद उसके द्वारा किए जानेवाले कार्यों के सक्रिय निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु यह हमेशा कि "मात्रानुपाती दर" पर श्रमिकों की व्यवस्था को इस खंड के अधीन उप-पट्टे पर दिया जाना नहीं समझा जाएगा।

संविदाकार कार्य को उप-पट्टे पर नहीं दे सकता है

The Contractor shall not directly or indirectly transfer, assign or sublet the Contract or any part thereof without the written permission of the Engineer. Even if such permission be granted, the Contractor shall remain responsible (a) for the acts, defaults and neglect of any sub-contractor, his agents, servants or workmen as fully as if these were the acts, defaults or neglects of the Contractor himself or his agents, servants or workmen and (b) for his full and entire responsibility of the contract and for active superintendence of the works by him despite being sublet, provided always that the provision of labourers on a "piece rate" basis shall not be deemed to be sub-letting under this clause.

Contractor cannot sub-let the work

- 4.7 जब एक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, संविदाकार की निविदा/प्रस्ताव में निर्माण के लिए आवश्यक सभी संयंत्र, स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के कार्य के लिए अस्थायी कार्य-सामग्री आपूर्ति करने, श्रमिक तथा उनके पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने, कार्य में प्रयुक्त होनेवाले माल को चढ़ाने, उतारने, बाड़ लगाने, पहरा देने, प्रकाश की व्यवस्था करने, समुचित प्राधिकरणों की फीस, कर एवं शुल्क के भुगतान सहित कार्य के निर्माण, स्थापना, समापन एवं अनुरक्षण के लिए अंशों सभी प्रकार की अन्य वस्तु कार्य-स्थल तक लाने एवं ले जाने पर हुआ उसका खर्च शामिल समझा जाएगा।

संविदाकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य में सभी खर्च शामिल हैं

Unless otherwise specified, the Contractor shall be deemed to have included in his Tender/Offer all his cost for supplying and providing all constructional plant, temporary work. Materials both for temporary and permanent works, labour including supervision thereof, transporting to and from the site and in and about the work, including loading, unloading, fencing, watching, lighting, payment of fees, taxes and duties to the appropriate authorities and other things of every kind required for the construction, erection, completion and maintenance of the work.

Contractors' price is inclusive of all costs

- 4.8 संविदाकार कार्य-स्थल के सभी प्रचालनों तथा निर्माण पद्धतियों की पर्याप्तता, स्थायित्व तथा सुरक्षा के लिए ठेकेले ही उत्तरदायी होगा, चाहे उसके लिए इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि से कोई पूर्व अनुमति ले ली गई हो। संविदाकार, इंजीनियर द्वारा बनाए गए स्थायी या स्थायी कार्य के डिजाइन या विशेष विवरण की सत्यता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; परन्तु संविदाकार उसके सही कार्यान्वयन तथा संविदाकार द्वारा तैयार किए गए, प्रस्तावित/व्यवहारे किसी डिजाइन एवं विशेष विवरण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
- The Contractor shall be solely responsible for the adequacy, stability and safety of all site operations and methods of construction, even if any prior approval thereto has been taken from the Engineer or his Representative. The Contractor shall not be responsible for the correctness of the design or specification of the Temporary and Permanent works formulated by the Engineer; but the Contractor shall be fully responsible for the correct implementation thereof, as also for any design and specification prepared/proposed/used by the Contractor.
- संविदाकार, इंजीनियर द्वारा बनाए गए डिजाइन तथा विशेष विवरण की सत्यता के सिवाय सभी निर्माण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है
- Contractor is responsible for all construction process, except for correctness of design and specification formulated by the Engineer
- 4.9 इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित किए जाने पर संविदाकार उसके समक्ष (क) कार्य के निष्पादन के लिए योजना (ख) प्रस्तावित प्रक्रिया और कार्य पद्धति (ग) संयंत्र, उपकरण, श्रमिक, सामग्री तथा स्थायी कार्यों के प्रस्तावित परिनियोजन के ब्योरे प्रस्तुत करेगा। ऐसी किसी योजना या विवरण पर इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि का अनुदेश और/या अनुमोदन संविदाकार को संविदा के अधीन उसकी किन्हीं बाधिता से मुक्त नहीं करेगा।
- Whenever required by the Engineer or his representative, the Contractor shall submit to him the details of his (a) programme for execution of the work, (b) proposed procedure and methods of work, (c) proposed deployment of plant, equipment, labour, materials and temporary works. The submission to and/or any approval by the Engineer or his Representative to any such programme or particulars shall not relieve the Contractor of any of his obligations under the contract.
- संविदाकार द्वारा अपने कार्य की योजना प्रस्तुत किया जाना
- Contractor to submit his programme of work

यदि किसी कारणवश संविदाकार अपनी पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होता है तो जब भी उससे अपेक्षा की जाए, वह कार्य पूर्ण करने की अपनी संशोधित योजना निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा।

If for any reason the contractor be unable to adhere to his earlier programme, he shall submit his revised programme for completion of work within the stipulated time whenever asked to do so.

- 4.10 कार्यनिष्पादन के दौरान और उसके बाद निरीक्षण-वधि के दौरान इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक समझे जाने की वधि एक संविदाकार द्वारा आवश्यक एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाएगी। संविदाकार या उसका सक्षम एवं प्राधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि कार्य-स्थल पर हमेशा मौजूद रहेगा तथा इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसे लिखित रूप में दिए गए अनुदेश उसके खंड 2.5 की सीमा के अधीन संविदाकार पर बाध्यकारी होंगे। संविदाकार कार्यस्थल पर रहनेवाले अपने ऐसे प्रतिनिधि/एजेंट के बारे में इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को लिखित रूप में जानकारी देगा।

संविदाकार द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण किया जाना

Necessary and adequate supervision shall be provided by the Contractor during execution of the works and as long thereafter as the Engineer or his representative shall consider necessary during the maintenance period. The Contractor or his competent and authorised agent or representative shall be constantly at site and instructions given to him by the Engineer or his representative in writing shall be binding upon the Contractor subject to limitation in Clause 2.5 hereof. The Contractor shall inform the Engineer or his representative in writing about such representative/agent of him at site.

Contractor to supervise the works

- 4.11 संविदा के निष्पादन के लिए संविदाकार केवल ईजाप्राप्त, सचेत और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करेगा तथा इंजीनियर कार्यस्थल पर परिनियोजित संविदाकार के किसी भी ऐसे स्टाफ, कामगार या अधिकारी के परिनियोजन को रोकने का निर्देश संविदाकार को देने के लिए स्वतंत्र होगा जिसका परिनियोजन इंजीनियर की राय में कार्य के समुचित और समय के भीतर पूरा करने में सहायक नहीं होगा तथा संविदाकार किसी आपत्ति के बिना 48 घंटे के भीतर ऐसे अनुदेश का पालन करेगा।

संविदाकार द्वारा ईजाप्राप्त व्यक्तियों को परिनियोजित किया जाना तथा संविदाकार के श्रमिकों को हटाने की इंजीनियर की शक्ति

<p>The Contractor shall employ in execution of the Contract only qualified careful and experienced persons and the Engineer shall be at liberty to direct the Contractor to stop deployment of any of its staff, workmen or official at site and the Contractor shall within 48 hours comply with such instruction without any demur whenever the Engineer shall feel that the deployment of the person concerned will not be conducive to the proper and timely</p>	<p>Contractor to deploy qualified men and Engineer's power to remove Contractor's men</p>
--	---

- | | |
|--|--|
| <p>4.12 इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में दिए गए संदर्भ बिन्दु/ लाइन / लेवल के अनुसार कार्य के सही एवं समुचित रूप से सीमांकन का दायित्व संविदाकार का होगा। इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी सीमांकन या किसी संरेखण या लेवल की जांच किए जाने से संविदाकार किसी भी रूप में उसे सही रूप में प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा और वह पूरी तरह से सभी खूँटे, दासा, निर्देशचिह्न, साफ रेल्स, खूँटी, पल चिह्न, प्रोफाइल चिह्न तथा कार्य के सीमांकन में प्रयोग की जानेवाली अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगा, संरक्षित एवं परिरक्षित करेगा।</p> | <p>लाइन, लेवल, सीमांकन आदि के लिए संविदाकार उत्तरदायी है</p> |
|--|--|

<p>The Contractor shall be responsible for the true and proper setting out of the works in relation to reference points/lines/levels given by the Engineer in writing. The checking of any setting-out or of any alignment or level by the Engineer or his Representative shall not in any way relieve the contractor of his responsibility for the correctness thereof and he shall fully provide protect and preserve all stakes, templates, bench marks, sight rails, pegs, level marks, profile marks and other things used in setting out the works.</p>	<p>Contractor is responsible for line, level, setting out etc.</p>
---	--

- | | |
|--|--|
| <p>4.13 कार्य आरंभ किए जाने के समय से लेकर उसके खंड 5*12 में उल्लिखित प्ररूप जी.सी.1 में कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के समय तक संविदाकार उस कार्य की देख-रेख करने का पूरा दायित्व लेगा। पवादि जोखिम को छोड़कर कार्य या उसके किसी भाग को होनेवाले किसी नुकसान, हानि या क्षति की पूर्ति संविदाकार अपने खर्च पर इंजीनियर के नुदेश और पृष्टि के नुरूप करेगा और उसमें चूक होने पर इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि किसी अन्य एजेंसी द्वारा उसकी पूर्ति कराएगा तथा उसके लिए उपग एवं इंजीनियर द्वारा प्रमाणित व्यय उचित समझा जाएगा। यह खंड</p> | <p>संविदाकार का दायित्व कार्य की संरक्षा करना है</p> |
|--|--|

कार्य के उस भाग पर लागू नहीं होगा जो कार्य के आंशिक समापन पर न्यासी मंडल द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया हो और वैसे मामले में इंजीनियर के निदेशानुसार नुरक्षण वधि (गारंटी वधि) के दौरान संविदाकार की बाध्यता विनिर्माण या सन्निर्माण दोष के लिए मरम्मत एवं प्रविस्थापन एक तथा नुरक्षण वधि में ऐसी मरम्मत एवं प्रविस्थापन के दौरान संविदाकार द्वारा कार्य को पहुंचाए गए दोष/नुकसान एक, यदि कोई हो, सीमित होगी।

From the commencement of the works till issue of the completion certificate in Form G.C.1, vide Clause 5.12 hereof, the contractor shall take full responsibility for the care thereof. Save for the excepted risks, any damage, loss or injury to the work or any part thereof shall be made good by the Contractor at his own cost as per instruction and to the satisfaction of the engineer, failing which the Engineer or his Representative may cause the same to be made good by any other agency and the expenses incurred and certified by the Engineer shall deem proper. This Clause will not apply to that part of the work, which might have been taken over by the Trustees on partial completion of the work and in such case the Contractor's obligation will be limited to repairs and replacement for manufacturing or construction defects during the Maintenance period (Guarantee Period) as per the directions of the Engineer as also for defects/damages if any caused to the work by the Contractor during such repairs and replacement in the maintenance period.

Contractor is responsible to protect the work

जीसी-12

- 4.14 संविदाकार अपने खर्च पर न्यासी मंडल के या और ऐसे कार्मिकों या संरचनाओं या सेवाओं या संपत्तियों का संरक्षण एवं संभरण तथा सभी पूर्वोपाय करेगा जिन्हें रोका गया हो या जो प्रभावि या अस्त-व्यस्त या संकटापन्न हुआ हो तथा उपर्युक्त संपत्तियों, संरचनाओं एवं सेवाओं और/या संविदाकार के कामगारों सहित किन्हीं व्यक्ति को कार्य के निष्पादन एवं नुरक्षण के संबंध में संविदाकार द्वारा की गई क्षति, हानि या नुकसान के लिए दावा के प्रति न्यासी मंडल की क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति रखेगा। संविदाकार द्वारा ली गई बीमा सुरक्षा की, यदि कोई हो, लागू की प्रविपूर्ति, संविदा में अन्यथा अनुबंधित के सिवाय, न्यासी मंडल द्वारा नहीं की जाएगी।
- कार्य के निष्पादन में अन्य संरचनाओं/व्यक्तियों को पहुंचाए गए सभी प्रकार के नुकसान के लिए संविदाकार उत्तरदायी है।

The Contractor shall at his own cost protect support and take all precautions in regard to the personnel or structure or services or properties belonging to the Trustees or not which may be interfered with or affected or disturbed or endangered and shall indemnify and keep indemnified the Trustees against claim for injury, loss or damage caused by the Contractor in connection with the execution and maintenance of the work to the aforesaid properties, structures and services and/or to any person including the Contractor's workmen. Cost of Insurance Cover, if any, taken by the Contractor shall not be reimbursed by the Trustees, unless otherwise stipulated in the Contract.

Contractor is responsible for all damages to other structures/ persons caused by him in executing the work.

- 4.15 यदि कार्यस्थल पर किसी जीवाश्म, सिक्के, मूल्यवान वस्तु या पुरावशेष एवं भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक महत्व के अन्य वशेष या वस्तु का पता लगा है तो वे न्यासी मंडल की संपत्ति बनी रहेंगी और संविदाकार उनके बारे में तत्काल इंजीनियर के प्रतिनिधियों को सूचित करेगा और अपने कामगारों द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाए जाने से उनकी रक्षा करेगा तथा इंजीनियर के प्रतिनिधि के निर्देश के अनुसार न्यासी मंडल के खर्च पर उनका निपटान करने की व्यवस्था करेगा।

जीवाश्म, निखात निधि आदि न्यासी मंडल की संपत्ति हैं

The Contractor shall immediately inform the Engineer's Representatives if any fossil, coins, articles of value or antiquity and structures and other remains or things of geological or archaeological importance be discovered at site which shall remain the property of the Trustees and protect them from being damaged by his workmen and arrange for disposal of them at the Trustees' expense as per the instruction of the Engineer's Representative.

Fossils, Treasure travois, etc. are Trustees' property

- 4.16 संविदाकार द्वारा सभी दावों, मांग, कार्रवायों एवं कार्यवाहियों से तथा निम्नलिखित के कारण उनपर होनेवाले सभी खर्च से न्यासी मंडल को क्षतिपूर्ति रखा गया और क्षतिपूर्ति किया गया समझा जाएगा:

The Contractor shall be deemed to have indemnified and shall indemnify the Trustees against all claims, demands, actions and proceedings and all costs arising therefrom on account of :

संविदाकार द्वारा न्यासी मंडल को हानि, क्षति आदि के लिए किए गए सभी दावों के प्रति क्षतिपूर्ति किया जाना

Contractor to Indemnify the Trustees against all claims for loss, damage, etc.

(क) कार्य या ँ स्थायी कार्य से संबंधित किसी पेेटेे ँ अधिकार, डिजाेन, ट्रेडमार्क या नाम या ँ न्य सुरक्षित अधिकार का ँ ढिक्रमण ।

(a) Infringement of any patent right, design, trademark or name or other protected right in connection with the works or temporary work.

(ख) कार्य के लिए ँ पेक्षित सभी सामग्री एवं उपकरण प्राप्त करने के लिए सभी रायल्टी, किराए, ढोल-प्रभार, स्थानीय कर का भुगोान, ँ न्य भुगोान या क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो।

(b) Payment of all royalties, rent, toll charges, local taxes, other payments or compensation, if any, for getting all materials and equipment required for the work.

(ग) सार्वजनिक या निजी सड़क, रेल-पारियों, फुपाथों, क्रेन-पारियों, जलपथों, जहाजी घाों ँथा न्यासी मंडल या किसी ँ न्य व्यक्ति की ँ न्य संपत्तियों पर संविदाकार द्वारा ँ नधिकृत ँ वरोध या न्यूसेंस उत्पन्न करना।

(c) Unauthorised obstruction or nuisance caused by the contractor in respect of Public or Private road, railway tracks, footpaths, crane tracks, waterways, quays and other properties belonging to the Trustees or any other person.

(घ) कार्य से संबंधित संविदाकार के संयंत्र ँथा सामग्री की आवाजाही के कारण किसी राजमार्ग एवं पुल का नुकसान या क्षतिग्रस्त होना ।

(d) Damage/injury caused to any highway and bridge on account of the movement of Contractor's plants and materials in connection with the work.

(ङ) संविदाकार के संयंत्र एवं सामग्री के परिवहन के दौरान जलपथ का प्रदूषित होना ँथा नदी, जलपाश, सी-वाल या जलपथ से संबंधित ँ न्य संरचना का क्षतिग्रस्त होना।

(e) Pollution of waterway and damage caused to river, lock, sea-wall or other structure related to waterway, in transporting contractor's plants and materials.

(च) कार्य-स्थल पर या उसके नजदीक न्यासी मंडल की ँ नुमति से और/या उनकी जानकारी में नियुक्त न्यासी मंडल और ँ न्य एजेसियों के कामगारों को ँंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के निदेशानुसार सभी युक्तियुक्त सुविधाएं ँथा आवास उपलब्ध कराने में संविदाकार द्वारा चूक किया जाना ।

(f) The Contractor's default in affording all reasonable facilities and accommodation as per the direction of the Engineer or his Representative to the workmen of the Trustees and other agencies employed by or with the permission and/or knowledge of the Trustees on or near the site of work.

- 4.17 संविदा की शर्तों के अनुसार किसी संपत्ति, भवन या संरचना को गिराने पर प्राप्त मलबा और सामग्री न्यासी मंडल की संपत्ति होगी।
Debris and materials, if obtained by demolishing any property, building or structure in terms of the Contract shall remain the property of the Trustees.

विखंडित सामग्री
न्यासी मंडल की
संपत्ति
Dismantled
materials
Trustees'
property

जीसी/GC-13

- 4.18 संविदाकार द्वारा कोट की गई दरों में निम्नलिखित शामिल समझी जाएंगी:
The Contractor's quoted rates shall be deemed to have been inclusive of the following :

संविदाकार द्वारा
कोट की गई
दरों/मूल्य में सब
बातें शामिल होंगी
Contractor's
quoted rates /
price must be
all inclusive

(क) कार्य स्थल को आवश्यक अवरोध से मुक्त रखना तथा कार्य-स्थल से निर्माण संयंत्र के भग्नावशेष, कूड़ा-करकट, पिरिक मिट्टी या नापेक्षित अन्य स्थायी निर्माण हटाना।

(a) Keeping the site free of unnecessary obstruction and removal from of constructional plant wreckage, rubbish, surplus earth or temporary w no longer required.

(ख) कार्य-स्थल से हर प्रकार के सभी फालतू सामग्री को हटाना और सफाई करना जिससे कार्य पूरा होने के बाद कार्य-स्थल स्वच्छ और साफ-सुथरा रह सके जिसके बिना अन्तिम बिल के प्रति भुगतान रोके जाने के दायित्व के अधीन हो सकता है।

(b) Cleaning and removal from site all the surplus materials of every kind to leave the site clean and tidy after completion of the work, without which payment against final bill may be liable to be withheld.

(ग) कार्य के निष्पादन एवं सुरक्षण के दौरान गोदी, हुगली नदी और अन्य जलपथों का किसी भी प्रकार के प्रदूषण से प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने और संविदाकार या उसकी एजेंसी के श्रमिकों द्वारा जल में कूड़ा-करकट, कचरा एवं अन्य सामग्री का फेंका जाना रोकने के लिए एहदियायी उपाय करना।

(c) Precautionary measures to secure efficient protection of Docks, the River Hooghly and other waterways against pollution of whatever nature during execution and maintenance of the works and to prevent rubbish, refuse and other materials from being thrown into the water by the Contractor's men or those of his agency.

(घ) सभी श्रमिकों एवं कामगारों, स्थानीय या अन्य, के परिनियोजन एवं उनकी मजदूरी, परिवहन, आवास, चिकित्सा और अन्य सभी कानूनी प्रसुविधा तथा प्रवेश परमिट की, जहाँ आवश्यक हो, व्यवस्था करना।

(d) Making arrangements for deployment of all labourer and workers, local or otherwise including payment for their wages, transport, accommodation, medical and all other statutory benefits and entry permits, wherever necessary.

(ङ) स्थानीय प्राधिकरण या इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की निरीक्षण के अनुसार कार्य-स्थल पर या उसके आस-पास निम्नलिखित को रोकने की व्यवस्था करना (i) चूहों, मूषिकाओं, कीड़े-मकोड़े, मच्छरों आदि का नाश करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करके एवं स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश रखकर चेचक, हैजा, प्लेग या मलेरिया जैसे संक्रामक रोग का फैलना, (ii) मादक द्रव्य, स्वापक पदार्थ, मद्यसारिक पान, शस्त्र एवं गोला-बारूद का अवैध भंडारण और विपणन, (iii) संविदाकार या उप-संविदाकार के कामगारों का विधिविरुद्ध, बलवात्मक या विध्वंसक आचरण, (iv) 16 वर्ष से कम आयु के कामगारों का परिनियोजन।

(e) Making arrangements in or around the site, as per the requirements of local authority or the Engineer or his Representative for preventing (i) spread of any infectious disease like smallpox, cholera, plague or malaria by taking effective actions for destruction of rats, mice, vermin, mosquitoes, etc. and by maintaining healthy and sanitary condition, (ii) illegal storage and distribution of Drugs, Narcotics, Alcoholic liquor, Arms and Ammunitions, (iii) unlawful, riotous or disorderly conduct of the Contractor's or his Sub-Contractor's workmen, (iv) deployment of workmen of age less than 16 years.

- 4.19 संविदाकार को दिए जानेवाले सभी निदेश या नोटिस संविदाकार को सम्यक् रूप से पामील की गई या उसके द्वारा प्राप्त की गई समझी जाएगी यदि उसे निविदा में यथाउल्लिखित या संविदाकार के साक्ष्य कार्यालय या संविदाकार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पत्र पर डाक में डाला गया हो या दस्ती भेजा गया हो। निदेश या नोटिस के बाद कोई कार्य करने के लिए पत्र शर्तों में उल्लिखित समय की गणना ऐसे डाक में डाले जाने या प्रेषण के समय से की जाएगी।

संविदाकार को नोटिस

Every direction or notice to be given to the Contractor shall be deemed to have been duly served on or received by the Contractor, if the same is posted or sent by hand to the address given in the tender or to the Contractor's Site Office or to the Registered Office of the Contractor. The time mentioned in these conditions for doing any act after direction or notice shall be reckoned from the time of such posting or despatch.

Notice to Contractor.

- 4.20 इंजीनियर के लिखित रूप में पूर्व प्राधिकार के बिना संविदाकार और उसका उप-संविदाकार या उनके एजेंट एवं श्रमिक पंथा संयंत्र, सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति करनेवाला कोई फर्म कोई फोटो या कार्य-विवरण प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा।

संविदाकार द्वारा फोटो या कार्य-विवरण प्रकाशित नहीं किया जाना।

The Contractor and his Sub-contractor or their agents and men and any firm supplying plant, materials and equipment shall not publish or caused to be published any photographs or description of the works without the prior authority of the Engineer in writing.

Contractor not to publish photograph or particulars of work

जीसी/GC – 14

- 4.21 इंजीनियर द्वारा निर्णीत न्यासी मंडल के खर्च पर संविदाकार, इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के निदेश के अनुसार न्यासी मंडल द्वारा नियुक्त किसी अन्य संविदाकार और उनके कामगारों, न्यासी मंडल के अपने स्टाफ एवं कार्य-स्थल पर या उसके आसपास के अन्य सार्वजनिक निकाय के श्रमिकों को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं और सहयोग प्रदान करेगा पंथा जिसमें चूक होने पर संविदाकार ऐसी चूक के कारण होनेवाली किसी देरी या उपग्राहिए गए किसी व्यय के लिए न्यासी मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा।

संविदाकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान किया जाना

The Contractor shall at the Trustees' cost to be decided by the Engineer render all reasonable facilities and Co-operation as per direction of the Engineer or his representative to any other Contractor engaged by the Trustees and their workmen to the Trustees' own staff and to the men of other Public Body on or near the site of work and in default the Contractor shall be liable to the Trustees for any delay or expense incurred by reason of such default.

Contractor to provide facilities to outsiders

- 4.22 संविदाकार द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाना है जिससे नौ-यातायात तथा जल-स्थल यातायात में न्यूनतम बाधा आए।
The work has to be carried out by the Contractor causing the minimum of hindrance for any maritime traffic or surface traffic.
- कार्य के कारण यातायात संचलन में न्यूनतम बाधा आना
Work to cause minimum possible hindrance to traffic movement
- 4.23 संविदाकार द्वारा निर्माण-स्थल पर लाए जानेवाले निर्माण संबंधी सभी संयंत्र, स्थायी कल-पुर्जे एवं सामग्री न्यासी मंडल की संपत्ति मानी जाएंगी और संपोषजनक रूप से काम होने तक उनपर न्यासी मंडल का धारणाधिकार बना रहेगा तथा केवल इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की लिखित अनुमति से ही उन्हें कार्यस्थल से शिफ्ट या पूर्णतः हटाया जा सकता है।
All constructional plants, temporary works and materials when brought to the site by the Contractor shall be deemed to be the property of the Trustees who will have lien on the same until the satisfactory completion of the work and shall only be removed from the site in part or in full with the written permission of the Engineer or his Representative.
- संविदाकार के संयंत्र एवं उपकरण पर न्यासी मंडल का धारणाधिकार
Trustees' lien on Contractor's Plant & Equipment.
- 5.0 कार्य का आरम्भ, निष्पादन तथा पूरा किया जाना
COMMENCEMENT, EXECUTION AND COMPLETION OF WORK.
- 5.1 संविदाकार की निविदा/प्रस्ताव का न्यासी मंडल द्वारा स्वीकार किए जाने की सूचना संबंधी इंजीनियर के पत्र की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर या निविदा फार्म में संविदाकार द्वारा यथाउल्लिखित ऐसे प्राथमिक समय या न्यासी मंडल द्वारा स्वीकृत समय के भीतर संविदाकार कार्य आरंभ करेगा। उसके बाद इंजीनियर या उसके प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त रूप से मंजूर किए जाने या आदेश दिए जाने के सिवाय संविदाकार कार्य को समुचित शीघ्रता से और विलम्ब किए बिना आगे बढ़ाएगा तथा संविदाकार की ओर से समय को ही संविदा का सार माना जाएगा।
The Contractor shall commence the work within 7 days of the receipt of Engineer's letter informing acceptance of the Contractor's tender/offer by the Trustees or within such preliminary time as mentioned by the Contractor in the Form of Tender or the time accepted by the Trustees. The Contractor shall then proceed with the work with due expedition and without delay, except as may be expressly sanctioned or ordered by the Engineer or his Representatives, time being deemed the essence of the contract on the part of the contractor.
- कार्य आरंभ करने का प्रारंभिक समय तथा प्रगति की संपूर्ण दर बनाए रखना।
Preliminary time to commence work and maintenance of steady rate of progress

- 5.2 संविदाकार कार्यस्थल पर या उसके नजदीक एक उपयुक्त कार्यालय मुहैया कराएगा और उसे सुरक्षित करेगा जहाँ इंजीनियर के प्रतिनिधि संविदाकार के उपयोग के लिए पत्र एवं नुदेश भेज सकते हैं।
The Contractor shall provide and maintain a suitable office at or near the site to which the Engineer's Representative may send communications and instructions for use of the Contractor.
- कार्यस्थल पर संविदाकार का कार्यालय Contractor's site office
- 5.3 जबकि संविदा में न्यथा उल्लेख न किया गया हो या इंजीनियर से पूर्व अनुमति न ली गई हो जबकि संविदाकार ज्वार संबंधी कार्य के कारण या कार्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के सिवाय इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा पालन किए जानेवाले कार्य-समय और न्यासी मंडल की व्यवस्था में पालन किए जानेवाले रविवार एवं छुट्टियों के दिन कार्य निष्पादित नहीं करेगा। यदि कार्य की प्रगति कार्यक्रम से पीछे रह जाए या संविदाकार के किसी कार्य या उपेक्षा के कारण कार्य खपरे में पड़ जाए तो इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के आदेश पर संविदाकार अपने खर्च पर दिन-रात एवं रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कार्य करेगा। ऐसा आदेश पारित करने में इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की चूक संविदाकार को उसकी किन्हीं बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी। इस संबंध में इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम, बाध्यकारी एवं निश्चयक होगा।
Unless specified otherwise in the contract or prior permission of the Engineer has been taken, the contractor shall not execute the work beyond the working hours observed by the Engineer's Representative and on Sundays and Holidays observed in the Trustees' system, except in so far as it becomes essential on account of tidal work or for safety of the work. If the progress of the work lags behind schedule or the work has been endangered by any act or neglect on the part of the contractor, then the Engineer or his Representative shall order and the contractor at his own expense shall work by day and by night and on Sundays and Public Holidays. Any failure of the Engineer or his Representative to pass such an order shall not relieve the contractor from any of his obligations. The Engineer's decision in this regard shall be final binding and conclusive.
- संविदाकार द्वारा न्यासी मंडल के कार्य-समय का पालन किया जाना Contractor to observe Trustees' working hours

- 5.4 जब तक संविदा में अन्यथा नुबद्ध न हो ढबक कार्य के लिए पेक्षित सभी सामग्री का प्रबंध एवं आपूर्ति संविदाकार द्वारा ढंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के ढनुमोदन से ढथा ढंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा बाद में की जा सकनेवाली जांच के ढध्यधीन की जाएगी। ढस प्रकार की किन्हीं सामग्री को स्वीकार करने में ढंजीनियर ढपने ढकमात्र विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा ।
- Unless stipulated otherwise in the contract all materials required for the work shall be procured and supplied by the contractor with the approval of the Engineer or his Representative and subject to subsequent testing as may be required by the Engineer or his Representative. The Engineer shall exercise his sole discretion to accept any such materials
- ढंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की पेक्षानुसार संविदाकार द्वारा सभी सामग्री की आपूर्ति किया जाना Contractor to supply all materials as per requirement of the Engineer or his representative
- 5.5 जब तक संविदा में अन्यथा नुबद्ध न हो ढबक सभी सामग्री, शिल्प ढथा माप लेने की पद्धति भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत संहिता (नवीनतम संशोधन) और ढंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के लिखित ढनुदेशों के ढनुसार होंगी । यदि संविदा में कोई निर्दिष्ट संदर्भ उपलब्ध न हो ढो सामग्री एवं शिल्प ढंजीनियर की ढृष्टि के ढनुरूप ढपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ होंगे।
- Unless stipulated otherwise in the contract all materials, workmanship and method of measurement shall be in accordance with the relevant Codes (Latest Revision) of the Bureau of Indian Standards and the written instructions of the Engineer or his Representative. Where no specific reference is available in the contract, the material and workmanship shall be of the best of their respective kinds to the satisfaction of the Engineer.
- सामग्री और शिल्प Materials & Works
- 5.6 जब भी पेक्षित हो, संविदाकार की लागत पर नमूना तैयार किया जाएगा ढथा ढंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के समक्ष ढनुमोदन हेतु पेश किया जाएगा ।
- Samples shall be prepared and submitted for approval of the Engineer or his representative, whenever required to do so, all at the Contractor's cost.
- संविदाकार द्वारा ढनुमोदन हेतु नमूना प्रस्तुत किया जाना Contractor to submit samples for approval

- 5.7 जब तक संविदा में अन्यथा नुबद्ध न हो, जब तक कार्य में परिनियोजित किन्हीं सामग्री या शिल्प की बाब में इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा पेश की किसी जांच के खर्च का वहन संविदाकार द्वारा किया जाएगा।
- संविदाकार द्वारा अपने खर्च पर सभी जांच की व्यवस्था किया जाना।
- Unless stipulated otherwise in the contract, the cost of any test required by the Engineer or his representative in respect of materials and workmanship deployed on the work, shall be borne by the Contractor.
- Contractor to arrange all testing at his own cost.
- 5.8 संविदा के अनुसार न्यासी मंडल द्वारा संविदाकार को किन्हीं सामग्री की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी-
- Regarding the supply of any materials by the Trustees to the contractor in accordance with the contract, the following conditions shall apply :
- (क) संविदाकार अपने खर्च पर न्यासी मंडल के भंडार से सामग्री ढोने, उनकी पहरेदारी करने, उनका भंडारण करने, उन्हें अपनी सुरक्षा और भिरक्षा में रखने, इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा यथापेक्षित रूप में उनके उपभोग का विवरण प्रस्तुत करने, इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के निदेशानुसार रिक्त और खाली कंटेनर को न्यासी मंडल के भंडार को वापस करने की व्यवस्था करेगा।
- संविदाकार द्वारा न्यासी मंडल की सामग्री का हिसाब रखा जाना तथा उनकी देखरेख किया जाना।
- a) The Contractor shall, at his own expense, arrange for transporting the materials from the Trustees' Stores, watching, storing and keeping them in his safe custody, furnishing of statement of consumption thereof in the manner required by the Engineer or his representative, return of surplus and empty container to the Trustees' Stores as per the direction of the Engineer or his Representative.
- The Contractor shall account for and look after the Trustees' materials
- (ख) न्यासी मंडल की सामग्री का भिरक्षक होने के नाते संविदाकार को जारी की गई किन्हीं सामग्री के लिए वह एकमात्र उत्तरदायी बना रहेगा तथा "प्रवादि जोखिम" से भिन्न किसी कारण से उन्हें होनेवाली किसी हानि या क्षति के लिए संविदाकार, इंजीनियर द्वारा विनिश्चय किए गए रूप में न्यासी मंडल की पूर्ति करेगा और किसी भी स्तर पर लिखित रूप में उसकी अनुमति के बिना ऐसी किसी सामग्री को कार्यस्थल से नहीं हटाएगा या हटावाएगा।
- संविदाकार द्वारा न्यासी मंडल की सामग्री को हुई हानि या क्षति की पूर्ति किया जाना।

(b) Being the custodian of the Trustees' materials, the contractor shall remain solely responsible for any such materials issued to him and for any loss or damage thereof for any reason other than "Excepted Risks", the Contractor shall compensate the Trustees' in the manner decided by the Engineer and shall at no stage remove or cause to be removed any such material from the site without his permission in writing.

Contractor to compensate for loss and damage to Trustees' materials

(ग) साधारणतः न्यासी मंडल की सामग्री की आपूर्ति चरणों में और कार्य की प्रगति-दर के अनुसार परंतु इंजीनियर द्वारा यथानिर्णीत कार्य के समापन-समय के उपयुक्त विस्तार की स्वीकृति के सिवाय की जाएगी। संविदाकार, न्यासी मंडल की सामग्री उसे आपूर्ति किए जाने में होनेवाली किसी देरी के लिए किसी अन्य प्रतिकर, आर्थिक या अन्यथा, का हकदार नहीं होगा। तथापि, संविदाकार समय-समय पर इंजीनियर को ऐसी सामग्री की अपनी उपेक्षा के बारे में संसूचित करेगा।

न्यासी मंडल की सामग्री की आपूर्ति में देरी होने पर संविदाकार का केवल कार्य के समापन-समय के विस्तार का हकदार होना

(c) The Trustees' materials will generally be supplied in stages and in accordance with the rate of progress of work but except for grant of suitable extension of completion time of work as decided by the Engineer. The Contractor shall not be entitled to any other compensation, monetary or otherwise, for any delay in the supply of Trustees' materials to him. The Contractor shall, however, communicate his requirement of such materials to the Engineer from time to time.

Delay in supply of Trustees' materials will only entitle the Contractor for extension of completion time of work

जीसी/GC-16

(घ) जबकि संविदा में अन्यथा अनुबद्ध न किया गया हो कि संविदाकार को जारी की गई न्यासी मंडल की सामग्री के मूल्य की वसूली संविदाकार के बिलों और/या उसकी किसी अन्य देयराशियों से आनुक्रमिक रूप से कार्य में उसके उपभोग के अनुसार और/या इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्णीत रूप में तथा संविदा में अनुबद्ध दर/दरों पर की जाएगी। संविदाकार द्वारा केवल अपनी निविदा/प्रस्ताव तैयार करने के समय उन दरों पर विचार किया जाएगा और यदि भविष्य में इंजीनियर के लिखित आदेश पर संविदाकार से ऐसी कोई सामग्री की खरीद करने एवं प्रदान करने की उपेक्षा की जाती है जिसकी समय पर आपूर्ति करने में वह विफल रहता है तो ये उसमें वृद्धि/परिवर्तन किए जाने का आधार होंगी।

सामान्य परिस्थितियों में संविदाकार से न्यासी मंडल की सामग्री के मूल्य की वसूली

(d) Unless stipulated otherwise in the contract, the value of the Trustees' materials issued to the contractor shall be recovered from the contractor's bills and/or any of his other dues, progressively according to the consumption thereof on the work and/or in the manner decided by the Engineer or his representative and at the rate/s stipulated in the contract. These rates shall only be considered by the contractor in the preparation of his tender/offer and these will form the basis of escalation/variation, if in future the contractor is required to procure and provide any such material on the written order of the Engineer consequent on the Trustees' failure to effect timely supply thereof.

Recovery from Contractor for Trustees' materials under normal circumstances

(ड) यदि इंजीनियर यह प्य करता है कि संविदाकार की उपेक्षा के कारण संविदाकार को जारी की गई न्यासी मंडल की कोई सामग्री (i) खो या क्षतिग्रस्त हो जायी है, (ii) आवश्यकता से अधिक उपभोग की जायी है तथा (iii) संविदाकार द्वारा सामान्य बर्बादी से अधिक बर्बाद की जायी है तो उसके मूल्य की वसूली, निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो उसपर 19^{1/4} जोड़कर, संविदाकार के बिल से या उसको देय अन्य राशियों से की जाएगी -

अन्य परिस्थितियों में संविदाकार से न्यासी मंडल की सामग्री के मूल्य की वसूली

(1) न्यासी मंडल के भंडार को जारी सामग्री की दर एवं

(2) इंजीनियर द्वारा यथानिर्धारित जारी किए जाने की पारीख को सामग्री का बाजार मूल्य।

(e) If the Engineer decides that due to the contractor's negligence, any of the Trustees' materials issued to the contractor has been – (i) lost or damaged, (ii) consumed in excess of requirement and (iii) wasted by the contractor in excess of normal wastage, then the value thereof shall be recovered from the contractor's bills or from any of his other dues, after adding 19 ¼% extra over the higher one of the followings -

Recovery from Contractor for Trustees' materials under other circumstances.

(1) The issue rate of the materials at the Trustees' Stores and

(2) The market price of the material on the date of issue as would be determined by the Engineer.

5.9

इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को किसी सामग्री या कार्य को किसी भी समय निरीक्षण करने और किसी भी समय निम्नलिखित आदेश देने की शक्ति होगी – (i) किसी ऐसी सामग्री को कार्य-स्थल से हटाने का, जो उसकी राय में संविदा या इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के अनुरोध के अनुसार नहीं है, (ii) समुचित और उपयुक्त सामग्री को प्रतिस्थापित करने का, या (iii) किसी कार्य के निवारण या समुचित निष्पादन का, जो सामग्री एवं कारीगरी की बाबत संविदा या इंजीनियर के अनुरोध के अनुसार नहीं है। संविदाकार ऐसे आदेश का अनुपालन अपने खर्च पर और आदेश में अनुबद्ध समय के भीतर करेगा। यदि संविदाकार इसका अनुपालन करने में चूक करता है तो इंजीनियर ऐसी किन्हीं सामग्री का निपटारा करने तथा संविदाकार को 7 दिन की पूर्व नोटिस लिखित रूप में देने के बाद संविदाकार की जोखिम एवं खर्च पर किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त कर न्यासी मंडल की सुविधानुसार किसी कार्य को फिर से कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

The Engineer or his Representative shall have the power to inspect any material and work at any time and to order at any time – (i) for removal from the site of any material which in his opinion is not in accordance with the contract or the instruction of the engineer or his representative, (ii) for the substitution of the proper and suitable materials, or (iii) the removal and proper re-execution of any work which in respect of material and workmanship is not in accordance with the contract or the instructions of the Engineer. The Contractor shall comply with such order at his own expense and within the time specified in the order. If the contractor fails to comply, the Engineer shall be at liberty to dispose any such materials and re-do any work in the manner convenient to the Trustees by engaging any outside agency at the risk and expense of the contractor and after giving him a written prior notice of 7 days.

इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को स्वीकार्य सामग्री/कार्य को संविदाकार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना

Contractor to replace materials / work not acceptable to the Engineer or his Representative

- 5.10 इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के अनुमोदन के बिना संविदाकार द्वारा किसी कार्य को आवृत्त एवं दृष्टि से ओझल नहीं किया जाएगा और उसके द्वारा पेश होने पर संविदाकार कार्य के किन्हीं अंश को नवृत्त करेगा तथा समय-समय पर इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा दिए जा सकनेवाले निदेश के अनुसार उसमें या उसके जरिए द्वारक बनाएगा और कार्य के इस प्रकार प्रभावि अंश को इंजीनियर की दृष्टि के अनुरूप संविदाकार के खर्च पर प्रतिस्थापित या प्रतिपूर्ति करेगा ।
- कार्य के किसी भाग को आच्छादित करने के पूर्व संविदाकार द्वारा इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि का अनुमोदन प्राप्त किया जाना

यदि प्रारंभिक आच्छादन इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के पूर्व लिखित आदेश के अनुसार किया गया हो तो इंजीनियर द्वारा यथानिर्धारित ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति न्यासी मंडल द्वारा की जाएगी।

No work shall be covered up and put out of view by the contractor without approval of the Engineer or his Representative and whenever required by him, the contractor shall uncover any part or parts of the work or make openings in or through the same as may be directed by the Engineer or his representative from time to time and shall reinstate or make good those part of works thus affected to the satisfaction of the Engineer, all at the cost of the contractor.

Contractor to seek approval of Engineer or his Representative before covering up any portion of work

The Trustees shall reimburse such cost as determined by the Engineer, if the initial covering up was with prior written order of the Engineer or his Representative.

जीसी/GC-17

- 5.11 इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के लिखित आदेश पर संविदाकार कार्य को जब तक रोककर या लंबित रखेगा जब तक उसे कार्य-निष्पादन दुबारा आरंभ करने का लिखित आदेश प्राप्त न हो जाए । इस प्रकार के स्थगन के दौरान संविदाकार कार्य को इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की दृष्टि के अनुरूप सुरक्षित और संरक्षित रखेगा। ऐसे आदेश को प्रभावी करने पर हुए अतिरिक्त व्यय पर न्यासी मंडल द्वारा विचार किया जाएगा जब तक ऐसा आस्थगन -
- इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के आदेश पर संविदाकार द्वारा कार्य को स्थगित रखा जाना
- (क) संविदा में अन्या उपबंधित न हो, या
 - (ख) संविदाकार की ओर से कुछ कमियों के कारण आवश्यक न हो, या
 - (ग) कार्य-स्थल पर जलवायु-संबंधी स्थिति के कारण आवश्यक न हो, या

(घ) कार्य के समुचित निष्पादन या कार्य या उसके किसी अंश की सुरक्षा हेतु आवश्यक न हो।

इंजीनियर ऐसे लिखित भुगतान का निपटान और निर्धारण और/या संविदाकार को नुज्ञा समापन-वधि का ऐसा विस्तार करेगा जो इंजीनियर की राय में उचित एवं युक्तियुक्त हो तथा वह इंजिन और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

On a written order of the Engineer or his Representative, the contractor shall delay or suspend the progress of the work till such time the written order to resume the execution is received by him. During such suspension the contractor shall protect and secure the work to the satisfaction of the Engineer or his Representative. All extra expenses in giving effect to such order shall be considered by the Trustees, unless such suspension is –

Contractor to suspend work on Order from Engineer or his Representative

(a) otherwise provided for in the contract, or

(b) necessary by reason of some default on the part of the contractor, or

(c) necessary by reason of climatic conditions on the site, or

(d) necessary for proper execution of the works or for the safety of the works or any part thereof.

The Engineer shall settle and determine such extra payment and/or Extension of completion time to be allowed to the contractor, as shall, in the opinion of the Engineer be fair and reasonable, and the same shall be final and binding on the Contractor.

- 5.11.1 यदि कार्य आरंभ होने के पहले या बाद में न्यासी मंडल संविदाग्राही पूरे कार्य की जाँच नहीं करते हैं तो इंजीनियर लिखित रूप में उसकी सूचना संविदाकार को देगा और संविदाकार उसके अनुपालन में आगे कार्य को रोक देगा। संविदाकार प्राप्त लाभ या कार्य के ऐसे परिपक्व स्थगन या मूल विनिर्देश, आरेखन, डिजाइन एवं अनुदेश में इंजीनियर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के कारण मूल आशयित कार्य में कौड़ी मद्धे किसी क्षतिपूर्ति लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

If at any time before or after commencement of the work the Trustees do not require the whole of the work tendered for the Engineer shall notify the same to the contractor in writing and the contractor shall stop further works in compliance of the same. The Contractor shall not be entitled to any claim for compensation for underived profit or for such premature stoppage of work or on account of curtailment of the originally intended work by reason of alteration made by the Engineer in the original specifications, drawings, designs and instructions.

- 5.12 जब संपूर्ण कार्य इंजीनियर की पुष्टि के अनुरूप पूरा हो जाएगा है और संविदा में कार्य पूर्ण करने विधि किसी ऑप्टिम जांच में पास हो जाएगा है अब संविदाकार अपना आवेदन संबंधी प्रमाण-पत्र- इंजीनियर को दिए जाने के 21 दिनों के भीतर उससे उसके साथ संलग्न फार्म जी.सी.1 में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि कुल कार्य का कोई अंश इंजीनियर की पुष्टि के अनुरूप पूरा हो जाएगा है और न्यासी मंडल द्वारा उसे अधिगृहीत कर लिया जाएगा है और/या उसका उपयोग किया जाएगा है तो संविदाकार आवेदन पर फार्म जी.सी.1 में ऐसा आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें उसके द्वारा कवर किए गए कार्य का अंश विनिर्दिष्ट हो जिससे कि जहां एक कार्य के पूर्ण अंश का संबंध है, संविदा की अनुरक्षण अवधि के दौरान, यदि कोई हो, संविदाकार की देयता ऐसे प्रमाणपत्र में उल्लिखित जारी से आरंभ होगी।

When the whole of the work has been completed to the satisfaction of the Engineer and has passed any final test prescribed in the contract, the contractor shall, within 21 days of submission of his application to the Engineer, be entitled to receive from him a certificate for completion of work in Form G.C.1, annexed hereto. If any part of the total work having been completed to the satisfaction of the Engineer, be taken over and/or used by the Trustees, the Contractor shall on application be entitled to partial completion certificate in the Form G.C.1 indicating the portion of the work covered by it, so that the Contractor's liability during maintenance period of the contract, if any, shall commence from the date mentioned in such certificate so far as the completed portion of the work is concerned.

Completion
Certificate-
G.C.1.

6.0 भुगटान की शर्तें /TERMS OF PAYMENT :

- 6.1 कार्य के अंतिम या अंतिम समापन और इंजीनियर द्वारा प्ररूप जी.सी.-2 में अंतिम समापन प्रमाणपत्र दिए जाने तक कार्य की बाबत कोई भी राशि संविदाकार द्वारा अर्जित या उसे देय नहीं समझी जाएगी।
- प्ररूप जी.सी.-2 में प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पूर्व खाते में किए गए भुगटान को, यदि कोई हो, केवल अग्रिम माना जाएगा जो संविदाकार की अपूर्ण संविदागत स्थिति के, यदि कोई हो, संदर्भ में इंजीनियर द्वारा विनिश्चित किए जाने पर पूर्णतः या अंशतः वसूलीयोग्य होगी।
- No sum shall be considered as earned by or due to the Contractor in respect of the work till final and satisfactory completion thereof and until a certificate of final completion in Form G.C.2 has been given by the Engineer.
- On account payments, if any, made prior to issue of the certificate in Form G.C.2, shall all be treated as mere advance, which shall stand recoverable in full or in part, if the Engineer so decides in the context of Contractor's unfulfilled contract condition, if any.
- प्ररूप जी.सी.-2 में प्रमाण-पत्र जारी किए जाने तक सभी अंतिम भुगटान अग्रिम हैं
- All interim payments are advances till issue of Certificate in Form G.C.2
- 6.2 न्यासी मंडल की माप पुस्तिका में यथा अभिलिखित वास्तविक कार्य के माप के आधार पर और, यथास्थिति, स्वीकृत, निविदाकृत या सहमत दरों पर, संविदा में अन्याय उपबंधों के सिवाय और संविदाकार की ओर से कार्यक्षेत्र में किसी परिवर्तन या लोप के लिए इंजीनियर द्वारा विनिश्चित किसी अन्य दर पर केवल संविदाकार को सभी भुगटान किए जाएंगे।
- All payments shall be made to the Contractor only on the basis of measurements of actual work done, as recorded in the Trustees' measurement books and at accepted tendered or at agreed rates, as the case may be, except as otherwise provided in the contract and when the Engineer decides any other rate for change in the scope of work or omission, if any, on the part of the Contractor.
- सहमत दरों पर माप के आधार पर भुगटान
- Payment on the basis of measurements at agreed rates.

- 6.3 रु. 50,000/- से अधिक के संस्वीकृत निविदा मूल्य के कार्य या ऐसे कार्य के लिए, जिसकी प्रारंभिक अनुबद्ध समापन अवधि 4 महीने या उससे अधिक हो, इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के विवेकाधिकार पर उसके द्वारा उपयुक्त एवं न्यायोचित समझे जानेवाले अंतराल पर लेखागत ऋणदायगी की जा सकती है। परंतु यह हमेशा कि संविदा मूल्य के संदर्भ में पर्याप्त मूल्य के कार्य के निष्पादन के अधीन ऐसी लेखागत ऋणदायगी के अंतराल के बारे में इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्णय किया जाएगा जो साधारणतः लेखागत बिल और/या ऋण ऋणदायगी के लिए दो भुगतानों के बीच 1 महीने से कम नहीं होगा।

For work of sanctioned tender value more than Rs.50,000/- or having an initially stipulated completion period of 4 months or more, on account payments may be made at the discretion of the Engineer or his Representative at intervals deemed suitable and justified by him. Provided always that subject to execution of work of substantial value in the context of the contract price, the interval of such on account payments shall be decided by the Engineer or his Representative, which shall ordinarily not be less than 1 month in between two payments for on account bill and/or advance.

Limitation for on account payment

- 6.4 निष्पादित कार्य की माप इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा उत्तरोत्तर ली जाएगी तथा उसके और/या इंजीनियर द्वारा उपयुक्त एवं उचित समझे जानेवाले अंतराल पर न्यासी मंडल की माप पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। इस प्रकार की माप के समय संविदाकार या सम्यक् रूप से अधिकृत उसका प्रतिनिधि या एजेंट उपस्थित रहेगा और इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा यथापेक्षित हर प्रकार से उसकी मदद करेगा। ली गई माप को माप-पुस्तिका में दर्ज किए जाने के बाद संविदाकार या उसका एजेंट ऐसी माप की समाप्ति पर माप-पुस्तिका में संविदाकार की रबड़ की मोहर पर ऊपर लिखित एवं ऐसे हस्ताक्षर के पूर्व की गई ऐसी सभी माप की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करेगा। यदि संविदाकार या उसका एजेंट, इंजीनियर के प्रतिनिधि से प्राप्त लिखित सूचना के 3 दिनों के बाद भी सहभागिता करने में चूक करता है तो इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा माप को एकपक्षीय रूप में लिया जाएगा और वे संविदाकार को मान्य होंगे।
- माप को भिलिखित करना

Measurement for works done shall be progressively taken by the Engineer's Representative and entered in the Trustees' Measurement Book, at intervals deemed suitable and proper by him and/or the Engineer. The Contractor or his duly accredited Representative or Agent shall remain present at the time of such measurement and assist the engineer's Representative in every manner required by him. After the measurements taken have been entered in the Measurement Book, the Contractor or his Agent shall sign the Measurement Book at the end of such Measurements over the Contractor's Rubber Stamp as a token of acceptance of all such measurements, recorded above and prior to such signature. If the Contractor or his Agent fails to participate even after 3 days written notice from the Engineer's Representative, the measurement shall be taken ex-parte by the Engineer's Representative and those shall be accepted by the Contractor.

Recording of measurements

जीसी/GC – 19

- 6.5 कार्य की मात्रा और माप-पुस्तिका में भिन्न उसके मूल्य के आधार पर संविदाकार द्वारा संविदाकार बिल को इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में प्रविष्टि करेगा पना बिल तैयार और उसकी चार प्रतियों पर स्वयं या अपने अधिकृत एजेंट की मोहर एवं प्रस्तुत किया जाए एवं उसपर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करके उन्हें इंजीनियर के प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि अपने पूर्ण विवेकाधिकार से न्यासी मंडल के स्तर पर बिल की जांच एवं लेखा-परीक्षा किए जाने के समय बिल के प्रति समायोजन के अधीन उक्त बिल की "शुद्ध देय" राशि के 75% से अधिक राशि की सीमा तक बिल के प्रति ग्रिम भुगतान की अनुमति देगा। माप-पुस्तिका संविदाकार को सौंपी नहीं जाएगी; परंतु बिल प्रविष्टि करने के लिए वह मात्रा, राशि एवं वसूली का सार प्राप्त करेगा।

Based on the quantum of work and the value thereof computed in the Measurement Book, the Contractor shall type out his bill in the proforma approved by the Engineer and submit the same to the Engineer's

Contractor to prepare and submit his bills

Representative in quadruplicate, duly signed by him or his accredited Agent over his Rubber Stamp. The Engineer or his Representative may in his absolute discretion, allow advance payment against such bill to the extent of an amount not exceeding 75% of the "net payable" sum of the said bill, subject to adjustment thereof against the bill at the time of checking and auditing the bill at the Trustees' end. The measurement Book will not be handed over to the Contractor; but he will obtain the abstracts of quantities, amounts and recoveries to type out the bill.

- 6.6 इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के विवेकाधिकार पर और केवल स्वीकृत प्रस्ताव/जहाँ निविदा में एक मूल्य की प्राक्कलि राशि रु°2,00,000/- या उससे अधिक हो, की बाबत निविदाकार द्वारा खरीदी गई एवं कार्य-स्थल पर लाई गई किसी सामग्री के मूल्य के 75% की सीमा तक एक ग्रिम भुगतान किया जा सकता है। परंतु यह हमेशा कि –

खराब न होनेवाली सामग्रियों के प्रति एक ग्रिम भुगतान

At the discretion of the Engineer or his Representative and only in respect of accepted offers/where estimated amount put to tender would be Rs.2,00,000/- or more, advance payment may be made to the extent of 75% of the value of any material purchased and brought to the site by the Contractor. Provided always that –

Advance payment against Non-perishable materials

(i) उक्त सामग्री इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की राय में खराब न होनेवाली प्रकृति की हो,

the materials shall, in the opinion of the Engineer or his Representative be of imperishable nature,

(ii) ऐसी सामग्री के मूल्य का निर्धारण इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा एक पने विवेकाधिकार से किया जाएगा,

the value of such materials shall be assessed by the engineer or his Representative at their own discretion,

(iii) संविदाकार के साथ एक औपचारिक करार किया जाएगा है जिसके अधीन संविदाकार की सामग्री पर न्यासी मंडल का धारणाधिकार सुरक्षित रहता है,

a formal agreement has been drawn up with the contractor, under which the Trustees secure a lien on the contractor's materials,

(iv) संविदाकार द्वारा कार्यनिष्पादन के स्थगन के कारण या अन्यथा सामग्री को होनेवाली हानि, कमी और दुरुपयोग से सामग्री की रक्षा संविदाकार द्वारा की जाती है।

the materials are safe-guarded by the contractor against losses, shortage and misuse due to the contractor postponing the execution of the work or otherwise,

(v) गोदी में न्यासी मंडल के सुरक्षित क्षेत्र के भीतर ऐसी सामग्री के भंडारण की दशा में संविदाकार, न्यासी मंडल को स्वीकार्य प्रोफार्मा में और ढंग से एक क्षतिपूर्ति-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके द्वारा संविदाकार किसी भी कारण से ऐसी सामग्री को होनेवाली हानि/क्षति के कारण होनेवाली सभी वित्तीय हानि/क्षति के प्रति न्यासी मंडल की क्षतिपूर्ति करेगा।

in the event of storage of such materials within the Trustees' protected areas in the Docks, the contractor shall submit an Indemnity Bond in the proforma and manner acceptable to Trustees' whereby the contractor shall indemnify the Trustees against all financial loss/damage, on account of loss/damage to such materials for whatever reasons,

(vi) न्यासी मंडल के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर ऐसी सामग्री के भंडारण की दशा में संविदाकार, न्यासी मंडल को स्वीकार्य प्रोफार्मा में और ढंग से न्यासी मंडल के पक्ष में ऋण की राशि के समान राशि की एक ऋणप्रतिस्तरणीय बैंक गारंटी इंजीनियर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। न्यासी मंडल को स्वीकार्य, यथास्थिति, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऋणसूचि वाणिज्य बैंक की कलकत्ता/हल्दिया शाखा द्वारा गारंटी जारी की जाएगी और वह कार्य में ऐसी सामग्री के उपभोग की ऋणमानि ऋणवधि ऋणवैध रहेगी। जबकि न्यासी मंडल की ओर से इंजीनियर की पूर्व लिखित ऋणनुमति से बैंक, गारंटी की वैधता को विस्तारित नहीं करता है जबकि बैंक गारंटी द्वारा जारीकर्ता बैंक, गारंटी की वैधता की समाप्ति की तारीख को न्यासी मंडल को गारंटीकृत राशि के स्वतः भुगतान का वचन देगा।

in the event of storage of such materials outside the Trustees' protected areas the Contractor shall submit to the Engineer an irrevocable Bank Guarantee favouring the Trustees and for the same sum as is being advance, in the proforma and manner acceptable to the Trustees. The Guarantee shall be of a Calcutta/Haldia Branch of any Nationalised Bank or a Schedule Commercial Bank, as the case may be, acceptable to the Trustees and

shall remain valid till the anticipated period of consumption of such materials in the work. The Bank Guarantee must bear an undertaking by the issuing Bank guaranteeing automatic payment of the guaranteed sum to the Trustees by the Bank on the date of expiry of the validity of the Guarantee, unless with the prior written approval of the Engineer on behalf of the Trustees, the Bank has extended the validity of the Guarantee.

(vii) सामग्री के उपभोग पर उपभोग की मात्रा के आधार पर संविदाकार के बिलों या ऋण देयराशियों से ऋणग्रिम राशि उतारोपर वसूलीयोग्य होगी। ऋणग्रिम की पूरी वसूली के बाद न्यासी मंडल की ओर से इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उप-खंड (v) एवं (vi) में यथावर्णित क्षतिपूर्ति बंध-पत्र / बैंक गारंटी संविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

The amount of advance shall be recoverable from the contractor's bills or any other dues, progressively with the consumption of the materials on the basis of quantity consumed. Consequent on full recovery of the advance the Indemnity Bond/Bank Guarantee, vide Sub-clause (v) & (vi) above, shall be returned to the Contractor duly discharged by the Engineer on behalf of the Trustees.

- 6.7 यदि इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा भुगतान के लिए दुबारा प्रमाणित किया जा रहा है या न्यासी मंडल द्वारा संविदाकार के किसी खाते में दुबारा भुगतान किया जा रहा है तो इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि का कोई प्रमाणपत्र संविदाकार से पुनर्भुगतान प्राप्त करने से न्यासी मंडल को नहीं रोकेगा या संविदाकार को संरक्षित नहीं करेगा।
No certificate of the Engineer or his representative shall protect the Contractor against or prevent the Trustees from obtaining repayment from the Contractor, in case the Engineer or his representative should over certify for payment or the Trustees should over-pay the Contractor on any account.
- 6.8 विवाद के कारण या अन्यथा या अंतरिम या अंतिम भुगतान में न्यासी मंडल की ओर से हुई किसी देरी के लिए या अन्यथा न्यासी मंडल से संविदाकार को देय हो सकनेवाले किसी धन या शेष राशि या बैंक गारंटी की बाबत किसी स्तर पर ब्याज के लिए कोई दावा संविदाकार को अनुज्ञेय या देय नहीं होगा।
No claim for interest shall be admissible or payable to the Contractor at any stage and in respect of any money or balance or Bank Guarantee, which may be due to the Contractor from the Trustees, owing to dispute or otherwise or for any delay on the part of the Trustees in making interim or final payment or otherwise.
- 7.0 फेरफार और उसका मूल्यांकन
VARIATION AND ITS VALUATION :
- 7.1 निविदा के परिमाण बिल में उपवर्णित परिमाण को कार्य का अनुमानित परिमाण माना जाएगा और उसे संविदाकार द्वारा निविदा के अधीन उसकी बाध्यता की पूर्ति में उसके द्वारा निष्पादित किए जानेवाले कार्यों का वास्तविक एवं सही परिमाण कभी नहीं समझा जाएगा।

गलत और
अत्यधिक भुगतान
की वसूली

Recovery for
wrong and
over payment

संविदाकार को
ब्याज अनुज्ञेय नहीं

Interest not
admissible to
Contractor

निविदा के
परिमाण बिल में
परिमाण

<p>The Quantities set out in the Bill of Quantities of the tender shall be treated as estimated quantities of the work and shall never be deemed as actual or correct quantities of the works to be executed by the contractor in fulfilment of his obligation under the contract.</p>	<p>Quantities in Bill of Quantities of Tender</p>
--	---

- 7.2 इंजीनियर को कार्य या उसके किसी भाग के परिमाण, गुणवत्ता या रूप में ऐसा फेरफार करने के लिए संविदाकार को लिखित रूप में आदेश देने की शक्ति होगी जो उसकी राय में आवश्यक हो तथा संविदाकार ऐसे आदेश की प्राप्ति पर निम्नानुसार कार्य करेगा :
- The Engineer shall have the power to order the Contractor in writing to make any variation of the quantity, quality or form of the works or any part thereof that may, in his opinion, be necessary and the Contractor upon receipt of such an order shall act as follows :
- कार्य में फेरफार करने की इंजीनियर की शक्ति
Engineer's power to vary the works

जीसी/GC – 21

- 7.2 (क) संविदा में शामिल किसी कार्य के परिमाण को बढ़ा या घटा सकता है।
(a) Increase or decrease the quantity of any work included in the contract.
- (ख) संविदा में शामिल किसी कार्य को छोड़ सकता है
(b) Omit any work included in the contract.
- (ग) संविदा में शामिल किसी कार्य की प्रकृति, गुणवत्ता या प्रकार में परिवर्तन कर सकता है।
(c) Change the Character or quality or kind of any work included in the contract.
- (घ) कार्य के किसी भाग के स्तर, पद्धति, स्थिति एवं आयाम में परिवर्तन कर सकता है।
(d) Change the levels, lines, position and dimensions of any part of the work, and

(ड) कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिक एवं किसी प्रकार का प्रिक्त कार्य निष्पादित कर सकता है।

(e) Execute extra and additional work of any kind necessary for completion of the works

- 7.3 ऐसा फेरफार किसी भी प्रकार से संविदा को निष्फल या अवैध नहीं करेगा या उसे संविदा का प्रसिंहरण नहीं माना जाएगा परंतु इंजीनियर के एकमात्र विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित ऐसे सभी फेरफार पर विचार किया जाएगा तथा संविदा मूल्य में अनुसार फेरफार किया जाएगा।
 इंजीनियर द्वारा किया गया फेरफार संविदा को निष्फल नहीं करता है
 Variation by engineer do not vitiate the contract
- No such variation shall in any way vitiate or invalidate the contract or be treated as revocation of the contract, but the value (if any) of all such variations evaluated in accordance with the Engineer's sole decision shall be taken into account and the contract price shall be varied accordingly.
- 7.4 परंतु यह हमेशा कि यदि ऐसी बढ़ोतरी या कमी उस खंड के अधीन दिए गए किसी फेरफार आदेश का परिणाम नहीं बल्कि बिल के परिमाण में यथाकथित परिमाण से अधिक या कम होने का परिणाम है जो कार्य के परिमाण में 15% तक की बढ़ोतरी या कमी के लिए इंजीनियर का लिखित आदेश प्रेक्षित नहीं होगा। परंतु यह भी कि इंजीनियर द्वारा दिए गए फेरफार के मौखिक आदेश का अनुपालन संविदाकार द्वारा किया जाएगा और इंजीनियर द्वारा बाद में ऐसे मौखिक आदेश की लिखित रूप में की गई पुष्टि को उस खंड के अर्थानुसार लिखित रूप में दिया गया आदेश माना जाएगा।
 जहाँ फेरफार के लिखित आदेश की जरूरत नहीं है
 Where written order for variation is not needed
- Provided always that written order of the Engineer shall not be required for increase or decrease in the quantity of any work upto 15% where such increase or decrease is not the result of any variation order given under this clause but is the result of the quantities exceeding or being less than those stated in the bill of quantities. Provided also that verbal order of variation from the Engineer shall be complied with by the Contractor and the Engineer's subsequent written confirmation of such verbal order shall be deemed to be an order in writing within the meaning of this clause.

- 7.5 (क) संविदाकार षडक षधिक या षडिरिक्त कार्य के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा जबक वे षंजीनियर के लिखि ष आदेश के षधीन न किए गए हों। षधिक या षडिरिक्त,या छोड़ दिए गए कार्य या षडिस्थापि ष कार्य के लिए भुगणन, षंजीनियर की शक्तियाँ
- (a) The Contractor shall not be entitled to any claim of extra or additional work unless they have been carried out under the written orders of the Engineer. Payment for extra or additional, or omitted work or substituted work,Engineer's powers
- (ख) षंजीनियर के आदेश से किए गए किसी षधिक कार्य या छोड़े गए कार्य की बाब ष निविदा में उल्लिखि ष राशि में जोड़ी जानेवाली या कषौषी की जानेवाली राशि का (यदि कोई हो) षवधारण एकमात्र षंजीनियर करेगा।
- (b) The Engineer shall solely determine the amount (if any) to be added to or deducted from the sum named in the tender in respect of any extra work done or work omitted by his order.
- (ग) षंजीनियर के आदेश से किए गए सभी षधिक, षडिरिक्त या षडिस्थापि ष कार्य या छोड़ दिए गए कार्य का मूल्यांकन संविदा में उपवर्णि ष मूल्य के आधार पर, यदि षंजीनियर की राय में वह लागू हो, किया जाएगा। यदि संविदा में षधिक, षडिरिक्त या षडिस्थापि ष कार्य पर सीधे लागू कोई दर या मूल्य षडिविष्ट नहीं रहण है षो षंजीनियर स्वीकृ ष संविदाग ष षडिश ष पर, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से ध्यान दे षे हुए न्यासी मंडल द्वारा षंगीकृ ष दर- ष नुसूची के (निविदा स्वीकार करने के समय षवृत्त षधिभार सहि ष),यदि कोई हो, आधार पर उपयुक्त दरों के बारे में निर्णय ले सकण है। षन्य मामलों में षंजीनियर षकेले षपने द्वारा उचि ष एवं युक्तियुक्त समझे गए रूप में उपयुक्त दर षवधारि ष करेगा षथा उसका विनिश्चय षडिम,बाध्यकारी एवं निश्चयक होगा।
- (c) All extra, additional or substituted work done or work omitted by order of the Engineer shall be valued on the basis of the rates and prices set out in the contract, if in the opinion of the Engineer, the same shall be applicable. If the contract does not contain any rates or prices directly applicable to the extra, additional or substituted work, then the Engineer may decide the suitable rates on the basis of Schedule of Rates (including surcharge in force at the time of acceptance of tender), if any, adopted by the Trustees with due regard to the accepted contractual percentage, if any thereon. In all other cases the Engineer shall solely determine suitable rates in the manner deemed by him as fair and reasonable, and his decision shall be final, binding and conclusive.

(घ) यदि संपूर्ण संविदागत कार्य या उसके किसी अंश की प्रकृति या मात्रा के सापेक्ष किसी लोप या परिवर्धन की प्रकृति या मात्रा ऐसी हो जिससे इंजीनियर की राय में कार्य की किसी मद के लिए संविदा में अंशित मूल्य की दर या उस खंड के उप-खंड (ख) एवं (ग) के अधीन यथा मूल्यांकित दर ऐसे लोप या परिवर्धन के कारण अनुचित या प्रयोज्य हो जाए तो इंजीनियर ऐसी दर या मूल्य नियत करेगा जैसा वह उचित समझे अथवा इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम, बाध्यकारी एवं निश्चयक होगा।

d) If the nature or amount of any omission or addition relative to the nature or amount of the whole of the contract work or to any part thereof shall be such that, in the opinion of the Engineer, the rate of prices contained in the contract for any item of the works or the rate as evaluated under sub-clauses (b) and (c) of this clause, is by reason of such omission or addition rendered unreasonable or in-applicable, the Engineer shall fix such other rate or price as he deems proper and the Engineer's decision shall be final, binding and conclusive.

8.0 समापन समय में विलंब/उसका विस्तार/परिनिर्धारित नुकसानी / संविदा की समाप्ति

DELAY / EXTENSION OF COMPLETION TIME / LIQUIDATED DAMAGE / TERMINATION OF CONTRACT

- 8.1 यदि किसी प्रकार के अधिक या अतिरिक्त कार्य या संविदा के अनुसार आपूर्ति की जानेवाली न्यासी मंडल की सामग्री की विलंबित उपलब्धता या आपवादिक रूप से प्रतिकूल मौसमी स्थिति एवं प्राकृतिक घटना या हड़ताल, आलाबंदी, सिविल अशांति या संविदाकार के नियंत्रण से परे किसी प्रकार की अन्य विशेष परिस्थिति के कारण कार्य पूरा होने में विलंब होता है तो उक्त कारण के घटित होने के 7 दिनों के भीतर संविदाकार समापन समय के उपयुक्त विस्तार के लिए लिखित रूप में इंजीनियर के पास आवेदन देगा और जब इंजीनियर कथित कारणों पर उस रीति से विचार करेगा जैसा आवश्यक समझा जाए अथवा तो आवेदन को खारिज करेगा या अवधारित करेगा एवं संविदाकार पर
- समापन-समय का विस्तार

“परिनिर्धारित नुकसानी” खंड (8.3) के अधिरोपण सहित या उसके बिना कार्य पूर्ण करने के लिए लिखित रूप में ऐसी विस्तार पंक्ति पंक्ति करेगा जैसा वह उचित समझे तथा उसका विनिश्चय पंक्ति और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा। यदि परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित किए बिना इंजीनियर द्वारा समापन-समय का विस्तार मंजूर किया जाएगा है तो यथा उपर्युक्त जबकि कि इंजीनियर द्वारा संसूचित विनिश्चय में अन्यथा कथित न किया गया हो, विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा न होने की स्थिति में खंड सं 8.3 में यथावर्णित परिनिर्धारित नुकसानी 8.3 की समाप्ति की तारीख से लागू होगी।

Should the quantum of extra or additional work of any kind or delayed availability of the Trustees' materials to be supplied as per contract or exceptionally adverse climatic conditions and natural phenomenon or strikes, lock-outs, civil commotion or other special circumstances of any kind beyond the control of the Contractor, cause delay in completing the work, the contractor shall apply to the Engineer in writing for suitable extension of completion time within 7 days from the date of occurrence of the reason and the Engineer shall thereupon consider the stated reasons in the manner deemed necessary and shall either reject the application or determine and allow in writing the extension period as he would deem proper for completion of the work with or without the imposition of "Liquidated Damage" Clause (No.8.3 hereof) on the Contractor and his decision shall be final and binding on the Contractor. If an extension of completion time is granted by the Engineer without imposition of liquidated damage, from the Clause No.8.3 of the Liquidated damage shall apply from its date of expiry, if the work be not completed within the extended time, unless stated otherwise in the decision communicated by the Engineer, as aforesaid.

Extension of completion time

8.2

(क) यदि संविदाकार अनुबद्ध तारीख के भीतर या इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में यथासंस्चित उसके विस्तार पंक्ति कार्य को पूरा करने में चूक करता है तो संविदाकार दंड के रूप में नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति (परिनिर्धारित नुकसानी) के रूप में न्यासी मंडल को कार्य पंक्ति रहनेवाले प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए निविदा/प्रस्ताव संबंधी स्वीकृति पत्र में यथाउल्लिखित कार्य के कुल मूल्य के 1/2%(आधे प्रतिशत) का भुगतान करेगा। परंतु यह हमेशा कि ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि कार्य के उक्त मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी। परिनिर्धारित नुकसानी की राशि का अधिधारण इंजीनियर द्वारा किया जाएगा जो पंक्ति और बाध्यकारी होगा।

न्यासी मंडल को देय 'परिनिर्धारित नुकसानी' एवं अन्य क्षतिपूर्ति

(a) If the Contractor fails to complete the work within the stipulated dates or such extension thereof as communicated by the Engineer in writing, the Contractor shall pay as compensation (Liquidated Damage) to the Trustees and not as a penalty, ½% (half percent) of the total value of work (contract piece) as mentioned in the letter of acceptance of the tender/offer, for every week or part thereof the work remains unfinished. Provided always that the amount of such compensation shall not exceed 10% of the said value of work. The amount of Liquidated damages shall be determined by the Engineer, which shall be final and binding.

Liquidated
Damage' and
other
compensation
due to Trustees

जीसी/GC – 23

(ख) न्यासी मंडल को उनके विधिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस खंड के उप-खंड में उल्लिखित उक्त प्रतिकर / क्षतिपूर्ति राशि को संविदाकार को देय या देय होनेवाली राशि से वसूल करने का अधिकार होगा। उक्त प्रतिकर/क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान या कटौती से संविदाकार कार्य पूरा करने की अपनी बाध्यता या संविदा के अधीन अपनी अन्य बाध्यताओं / दायित्वों से मुक्त नहीं होगा तथा संविदाकार की विफलता के मामले में इंजीनियर के पूर्ण विवेकाधिकार से उक्त कार्य इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा संविदाकार को लिखित रूप में

न्यूनतम तीन दिन की नोटिस दिए जाने के बाद संविदाकार की जोखिम एवं खर्च पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा पूरा कराने का आदेश दिया जा सकेगा।

(b) Without prejudice to any of their legal rights, the Trustees shall have the power to recover the said amount of compensation/damage in Sub-clause (a) of this clause, from any money due or likely to become due to the Contractor. The payment or deduction of such compensation/damage shall not relieve the contractor from his obligation to complete the work or from any of his other obligations/liabilities under the contract and in case of the Contractor's failure and at the absolute discretion of the Engineer, the work may be ordered to be completed by some other agency at the risk and expense of the Contractor, after a minimum three days notice in writing has been given to the Contractor by the Engineer or his Representative.

- 8.3 संविदाकार को किसी प्रतिकर के लिए दायीं हुए बिना न्यासी मंडल को अपने पूर्ण विवेकाधिकार से संविदा समाप्त कर सकता है और कार्यस्थल पर जा सकता है एवं निम्नलिखित में से किसी कारण से संविदाकार को लिखित रूप में न्यूनतम 3 दिन की नोटिस देकर उसे वहाँ से निष्कासित कर सकता है तथा इंजीनियर द्वारा यथा संसूचित उस बाबत न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम और निश्चयक होगा :

Without being liable for any compensation to the Contractor, the Trustees may, in their absolute discretion, terminate the contract and enter upon the site and works and expel the Contractor from there after giving him a minimum 3 days' notice in writing, due to occurrence of any of the following reasons and decision of the Trustees in this respect, as communicated by the Engineer shall be final and conclusive :

Default of the Contractors remedies & powers/ Termination of Contract.

- (i) संविदाकार ने संविदा का परित्याग कर दिया है ।

The Contractor has abandoned the contract.

- (ii) इंजीनियर की राय में या जो कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है या संविदाकार की त्रुटि के कारण सहमत अवधि के भीतर कार्य के पूरा होने की संभावना नहीं है।

In the opinion of the Engineer, either the progress of work is not satisfactory or the work is not likely to be completed within the agreed period on account of Contractor's lapses.

- (iii) संविदाकार कार्य आरंभ करने में विफल रहा है या जो परिस्थितियों में उसने किसी विधिपूर्ण कारण के बिना "इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि" से कार्य आगे बढ़ाने की लिखित नोटिस प्राप्त करने के बावजूद कम से कम 15 दिन तक कार्य को स्थगित रखा है।

The Contractor has failed to commence the works or has without any lawful excuse under these conditions has kept the work suspended for at least 15 days despite receiving the Engineer" or his Representative" written notice to proceed with the work.

(iv) ढन परिस्थितियों में ढंजीनियर या उसके प्रढिनिधि से किन्हीं सामग्री या कार्य की भत्सर्ना किए जाने एवं उसे खारिज किए जाने संबंधी लिखिढ नोढिस प्राप्त करने के 7 दिनों के बाद भी संविदाकार कार्यस्थल से उक्त सामग्री को हढाने या उसे गिराने या ध्वस्त करने एवं कार्य को प्रढिस्थापिढ करने में चूक करढा है।

The Contractor has failed to remove materials from site or to dismantle or demolish and replace work for 7 days after receiving from the Engineer or his representative the written notice stating that the said materials or work were condemned and rejected by him under these conditions.

(v) संविदाकार संविदा के ढनुसार कार्य निष्पादिढ नहीं कर रहा है या लगाढार या खुले ढौर पर संविदा के ढधीन ढपनी बाध्यढाओं के कार्यान्वयन की उपेक्षा कर रहा है।

The Contractor is not executing the works in accordance with the contract or is persistently or flagrantly neglecting to carry out his obligations under the contract.

(vi) संविदाकार द्वारा या उसकी ओर से संविदा की प्राप्ति या उसके निष्पादन के संबंध में न्यासी ढंडल के किसी ढधिकारी,सेवक या प्रढिनिधि या उसकी या उनकी ओर से किसी व्यक्ति को कोई घूस, कमीशन,उपहार या फायदा दिया जाढा है।

Any bribe, commission, gift or advantage is given, promised or offered by or on behalf of the contractor to any officer, servant or representative of the Trustees or to any person on his or their behalf in relation to the obtaining or to the execution of the contract.

(vii) संविदाकार दिवालिया न्यायनिर्णीढ किया जाढा है या ढपने लेनदारों के साथ प्रशमन करढा है या कंपनी होने पर चाहे ढनिवार्य रूप से या स्वैच्छिक रूप से समापन करढा है।

The Contractor is adjudged insolvent or enters into composition with his creditors or being a company goes into liquidation either compulsory or voluntary.

- 8.3.1 न्यासी मंडल की ओर से इंजीनियर द्वारा जारी किए जा सकनेवाले कार्य के पर्यवसान संबंधी पत्र की प्राप्ति पर संविदाकार उसे जारी किए गए न्यासी मंडल के सभी औज़ार, संयंत्र एवं सामग्री उक्त पत्र की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर इंजीनियर द्वारा निश्चित किए जानेवाले स्थान पर सौंपेगा।
Upon receipt of the letter of termination of work, which may be issued by the Engineer on behalf of the Trustees, the Contractor shall hand over all the Trustees' tools, plant and materials issued to him at the place to be ascertained from the Engineer, within 7 days of receipt of such letter.
- 8.3.2 कार्य के पर्यवसान संबंधी ऐसे सभी मामलों में न्यासी मंडल को संविदाकार की जोखिम एवं खर्च पर किसी अन्य एजेंसी के जरिए कार्य को पूर्ण कराने की शक्ति होगी और संविदा के अनुसार संविदाकार द्वारा कार्य को सम्यक् रूप से पूर्ण किए जाने पर जो राशि उसे देय होगी उससे अधिक राशि कार्य पूर्ण कराने पर खर्च होने पर उक्त राशि संविदाकार से विकलि की जाएगी।
In all such cases of Termination of work, the Trustees shall have the power to complete the work through any other agency at the Contractor's risk and expense and the Contractor shall be debited any sum or sums that may be expended in completing the work beyond the amount that would have been due to the Contractor, had he duly completed the work in accordance with the contract.
- 8.3.3 संविदा के पर्यवसान पर संविदाकार संविदा के अनुसार वसूली के अधीन वस्तु: उसके द्वारा किए गए कार्य और वस्तु: उसके द्वारा आपूर्ति सामग्री के मूल्य के केवल 90% का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते किए गए कार्य एवं सामग्री न्यासी मंडल द्वारा धिगृहीत किए जाते समय विनिर्देश के अनुरूप हों। कार्य का भुगतान वस्तु: किए गए कार्य की माप एवं अनुमोदित संविदा दरों या इंजीनियर द्वारा यथा विनिश्चित अन्य दरों पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। आपूर्ति सामग्री के लिए भुगतान इंजीनियर द्वारा यथा विनिश्चित दरों पर किया जाएगा जो किसी भी दशा में न्यासी मंडल द्वारा धिगृहीत किए जाते समय प्रचलित बाजार दरों से अधिक नहीं होगी। ऐसे सभी मामलों में इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम, बाध्यकारी एवं निश्चायक होगा।

Upon termination of contract, the Contractor shall be entitled to receive payment of only 90% of the value of work actually done or materials actually supplied by him and subject to recoveries as per contract, provided the work done and materials conform to specifications at the time of taking over by the Trustees. The payment for work shall be based on measurements of actual work done and priced at approved contract rates or other rates, as decided by the Engineer. The payment for materials supplied shall be at the rates as decided by the Engineer, which shall in no case be more than market rates prevailing at the time of taking over by the Trustees. The Engineer's decision in all such case shall be final, binding and conclusive.

- 8.3.4 न्यासी मंडल को संविदाकार को देय सभी राशि षड्यंत्र प्रविधारी करने की शक्ति होगी जबकि षड्यंत्र एजेंसी द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है और न्यासी मंडल के प्रति संविदाकार की देयताएं सभी तरह से ज्ञात नहीं होती हैं।

The Trustees shall have the power to retain all moneys due to the Contractor until the work is completed by other agency and the Contractor's liabilities to the Trustees are known in all respect.

- 9.0 षड्यंत्र एवं प्रविधारी जमाराशि की वापसी
MAINTENANCE AND REFUND OF SECURITY DEPOSIT

- 9.1 कार्य का निष्पादन पूर्ण करने के बाद संविदाकार प्ररूप जी०सी०-1 में आरंभिक कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र में उल्लिखित षड्यंत्र से संविदा की विशेष शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट की जा सकनेवाली षड्यंत्र के लिए उसका षड्यंत्र करेगा। संविदा के षड्यंत्र या षड्यंत्रियर या उसके प्रतिनिधि के षड्यंत्र के षड्यंत्र सामग्री या शिल्प से षड्यंत्रियर या उसके प्रतिनिधि की षड्यंत्र राय में उपर्युक्त षड्यंत्र षड्यंत्र के दौरान कार्य में कोई त्रुटि/गलती प्रतीत हो तो षड्यंत्रियर या उसके प्रतिनिधि की लिखित नोटिस पर ऐसी नोटिस से सात दिनों के भीतर षड्यंत्रियर या उसके प्रतिनिधि की षड्यंत्र के षड्यंत्र संविदाकार द्वारा षड्यंत्र खर्च पर उसका संशोधन किया जाएगा एवं उसे पूरा किया जाएगा जिसमें षड्यंत्र सफल रहने पर षड्यंत्रियर या उसके प्रतिनिधि संविदाकार की जोखिम एवं खर्च पर षड्यंत्र एजेंसी के जरिए त्रुटि का संशोधन कराएंगे और उसे पूरा कराएंगे तथा उसपर एवं उसके षड्यंत्र सभी व्यय षड्यंत्रियर द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले रूप में संविदाकार से वसूलीयोग्य होंगे।

कार्य के षड्यंत्र
की संविदाकार
की बाध्यता

<p>On completion of execution of the work the Contractor shall maintain the same for a period, as may be specified in the form of a Special Condition of the Contract, from the date mentioned in the Initial Completion Certificate in Form G.C.1. Any defect/fault, which may appear in the work during aforesaid maintenance period, arising, in the sole opinion of the Engineer or his representative, from materials or workmanship not in accordance with the contract or the instruction of the Engineer or his representative, shall, upon the written notice of the Engineer or his representative, be amended and made good by the Contractor at his own cost within seven days of the date of such notice, to the satisfaction of the Engineer or his representative, failing which the Engineer or his representative shall have the defects amended and made good through other agency at the Contractor's risk and cost and all expenses, consequent thereon or incidental thereto, shall be recoverable from the Contractor in any manner deemed suitable by the Engineer.</p>	<p>Contractor's obligation for maintenance of work.</p>
--	---

जीसी/GC-25

- | | | |
|------------|---|---|
| <p>9.2</p> | <p>संविदाकार द्वारा प्रारंभिक कार्य पूर्ण किया गया नहीं समझा जाएगा और न्यासी मंडल द्वारा प्रारंभिक प्रारंभिक रूप से कार्य स्वीकार किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संविदाकार द्वारा निरीक्षण अधि, यदि कोई हो, सहित संविदा के अधीन सभी बाधिकाएँ पूर्ण किए जाने के बाद उसके साथ उपाबद्ध प्रारूप जी०सी०-2 में प्रारंभिक कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित एवं संविदाकार को जारी न कर दिया जाए। न्यासी मंडल के कार्य-स्थल पर जाने या उसपर कब्जा करने, वहाँ कार्य करने या उसका उपयोग करने से संविदाकार संविदा के अधीन पूर्णरूपेण एवं प्रारंभिक रूप से कार्य को पूरा करने की अपनी बाधिका से मुक्त नहीं होगा।</p> | <p>प्रारंभिक कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र</p> |
|------------|---|---|

	<p>The Contractor shall not be considered completed and the work shall not be treated as finally accepted by the Trustees, until a Final Completion Certificate in Form G.C.2 annexed hereto shall have been signed and issued by the Engineer to the contractor after all obligations under the Contract including that in the maintenance period, if any, have been fulfilled by the Contractor. Previous entry on the works or taking possession, working or using thereof by the Trustees shall not relieve the Contractor of his obligations under the contract for full and final completion of the work.</p>	Certificate of final completion
9.3	<p>उपर्युक्त रूप से संविदा के पूर्ण होने पर संविदाकार, इंजीनियर के समक्ष (i) न्यासी मंडल द्वारा धारित प्रभूति राशि के लिए प्रदान की गई ट्रेजरी रसीद और (ii) उसके साथ उपाबद्ध प्ररूप जी०सी० 3 में पना "आगे कोई दावा नहीं" प्रमाणपत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करके प्रभूति जमाराशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है जिसपर इंजीनियर प्ररूप जी०सी० 2 में प्रमाणपत्र जारी करेगा और इंजीनियर की संस्तुति के दो माह के भीतर न्यासी मंडल, प्रभूति जमाराशि के प्रति संविदाकार को देय राशि से संविदाकार द्वारा न्यासी मंडल को देय किसी राशि की बाबत कटौती करने के बाद शेष राशि संविदाकार को वापस करेगा।</p> <p>On completion of the contract in the manner aforesaid, the Contractor may apply for the refund of his Security Deposit by submitting to the Engineer (I) The Treasury Receipts granted for the amount of Security held by the Trustees, and (ii) his "No further claim" Certificate in Form G.C.3 annexed hereto (in original), where upon the Engineer shall issue Certificate in Form G.C.2 and within two months of the Engineer's recommendation, the Trustees shall refund the balance due against the Security Deposit to the Contractor, after making deduction therefrom in respect of any sum due to the Trustees from the Contractor.</p>	<p>प्रभूति जमाराशि की वापसी</p> <p>Refund of Security Deposit</p>

10.0	संविदा दस्तावेजों का निर्वचन, विवाद और माध्यस्थम् INTERPRETATION OF CONTRACT DOCUMENTS, DISPUTES AND ARBITRATION		
10.1	<p>विनिर्देश, आरेखण, डिजाइन और ंनुदेश के ंर्थ सहिं संविदा के निर्वचन से उत्पन्न या सम्बद्ध या शिल्प की गुणवत्ता के बारे में या कार्य चालू रहने के दौरान या पूर्ण होने के बाद एवं संविदा के ंवधारण, परित्याग या भंग होने के पहले या बाद या कार्य या कार्य के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के बारे में सभी विवाद, मामले, दावा, मांग या प्रश्न में ंजीनियर का विनिश्चय ंिम एवं संविदा के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ंथा संविदाकार द्वारा ंसे पुरं प्रभावी किया जाएगा ।</p> <p>In all disputes, matters, claims, demands or questions arising out of or connected with the interpretation of the Contract including the meaning of Specifications, drawings, designs and instructions or as to the quality of workmanship or as to the materials used in the work or the execution of the work whether during the progress of the works or after the completion and whether before or after the determination, abandonment or breach of the contract the decision of the Engineer shall be final and binding on all parties to the contract and shall forthwith be given effect to by the Contractor.</p>	<p>ंजीनियर का विनिश्चय</p> <p>Engineer's decision</p>	
10.2	<p>यदि संविदाकार ंजीनियर के ऐसे किसी विनिश्चय से ंसंुष्ट होा है ंो वह ऐसे विनिश्चय की नोिस प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भीर यह ंपेक्षा करेगा कि उक्त मामला ंध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाए जो उसपर विचार एवं विनिश्चय करेगा ।</p> <p>If the Contractor be dissatisfied with any such decision of the Engineer, he shall within 15 days after receiving notice of such decision require that the matter shall be referred to Chairman, who shall thereupon consider and give a decision.</p>	<p>ंध्यक्ष का ंधिर्णय</p> <p>Chairman's award</p>	

- 10.3 □थापि,यदि संविदाकार □ध्यक्ष के विनिश्चय से □संपुष्ट हो□ है □ो वह ऐसे माध्यस्थम् विनिश्चय की नोपिस प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भी□र यह □पेक्षा करेगा कि लिखि□ रूप में उसकी नोपिस के 60 दिनों के भी□र □ध्यक्ष, न्यासी मंडल द्वारा □स प्रयोजनार्थ □नुरक्षि□ किए जानेवाले मध्यस्थों के पैनल से एक मध्यस्थ को मामला विनिर्दिष्ट करे और ऐसे किसी निर्देश को भारतीय माध्यस्थम् □धिनियम, 1940 या उसके किसी कानूनी उपां□रण के □र्था□र्ग□ माध्यस्थम् के समक्ष प्रस्तु□ किया गया समझा जाएगा।
- If, however, the Contractor be still dissatisfied with the decision Arbitration. of the Chairman, he shall within 15 days after receiving notice of such decision require that within 60 days from his written notice, the Chairman shall refer the matter to an Arbitrator of the panel of Arbitrators to be maintained by the Trustees for the purpose and any such reference shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of Indian Arbitration Act, 1940 or any statutory modification thereof.
- 10.3.1. यदि □स प्रकार नियुक्त मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्य करने में □समर्थ या □निच्छुक हो□ है या □पनी नियुक्ति त्याग दे□ है या □पना पद रिक्त कर□ है □ो पैनल से किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति एकमात्र मध्यस्थ के रूप में की जाएगी और उसके पूर्वाधिकारी ने जिस स्थिति में कार्य छोड़ा था उससे आगे वह कार्य करेगा ।
- If the Arbitrator so appointed is unable or unwilling to act or resigns his appointment or vacates his office due to any reason whatsoever, another person from panel shall be appointed as Sole Arbitrator and he shall proceed from the stage at which his predecessor left it.

जीसी/GC - 26

- 10.3.2 जिस □ारीख को मध्यस्थ पहली सुनवाई की □ारीख निय□ कर□े हुए दोनों पक्षकारों को नोपिस जारी कर□ है उसी □ारीख को उसे निर्देशि□ किया गया समझा जाएगा ।

The Arbitrator shall be deemed to have entered on reference on the date he issues notice to both the parties fixing the date of first hearing.

- 10.3.3 जिस समय-सीमा के भीतर मध्यस्थ अपना पंचाव प्रस्तुत करेगा वह भारतीय माध्यस्थ अधिनियम, 1940 या उसके किसी संशोधन में यथा उपबंधित सामान्यतः 4 महीने होगी। मध्यस्थ, यदि आवश्यक समझे, पक्षकारों की सहमति से पंचाव तैयार करने एवं उसे प्रकाशित करने हेतु समय बढ़ा सकता है।

The time limit within which the Arbitrator shall submit his award shall normally be 4 months as provided in Indian Arbitration Act, 1940 or any amendment thereof. The Arbitrator may, if found necessary, enlarge the time for making and publishing the award, with the consent of the parties.

- 10.3.4 माध्यस्थ का स्थान मध्यस्थ के एकमात्र विवेकाधिकार से यथा नियत कलकत्ता या हल्दिया होगा। ऐसे प्रत्येक या किसी निर्देश पर क्रमशः निर्देश एवं पंचाव के अनुषंगी कोई खर्च मध्यस्थ के विवेकानुसार किया जाएगा जो उसकी राशि या जिसके द्वारा और जिसे एवं जिस रीति से उसका वहन एवं भुगतान किया जाएगा, उसे अवधारित कर सकेगा।

The venue of the arbitration shall be either Calcutta or Haldia as may be fixed by the Arbitrator in his sole discretion. Upon every or any such reference the cost of any incidental to the reference and award respectively shall be in the discretion of the Arbitrator who may determine, the amount thereof or by whom and to whom and in what manner the same shall be borne and paid.

- 10.3.5 मध्यस्थ का पंचाव भारतीय माध्यस्थ अधिनियम, 1940 या उसके किसी संशोधन के उपबंधों के अधीन सभी पक्षकारों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ विवाद की प्रत्येक मद और प्रत्येक पक्षकार द्वारा उसे निर्देशित संबंधित दावे की बाबत पृथक् पंचाव देगा तथा पंचाव देने के कारण का उल्लेख करेगा।

The Award of the Arbitrator shall be final and binding on all parties subject to the provisions of the Indian Arbitration Act 1940 or any amendment thereof. The Arbitrator shall give a separate award in respect of each item of disputes and respective claim referred to him by each party and give reason for the award.

- 10.3.6 मध्यस्थ संविदा के सभी पक्षकारों के दावों पर संबंधित संविदा की सीमा एवं शर्तों के भीतर ही विचार करेगा।
The Arbitrator shall consider the claims of all the parties to the contract – within only the parameters of scope and conditions of the contract in question.
- 10.3.7 संविदा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्यक्ष प्रवृत्त माध्यस्थता अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध इस खंड के अधीन माध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे।
Save as otherwise provided in the contract the provisions of the Arbitration Act, 1940 and rules made thereunder, for the time being in force, shall apply to the arbitration proceedings under this Clause.
- 10.4 संविदाकार कार्य को स्थगित नहीं रखेगा या उसमें विलंब नहीं करेगा तथा इंजीनियर के विनिश्चय के अनुसार समुचित तत्परता से कार्य को आगे बढ़ाएगा। इंजीनियर भी, उसके अनुसार, संविदाकार को देय एवं भुगतान-योग्य कोई ऐसा भुगतान इस आधार पर नहीं रोकेगा कि कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं और उन्हें माध्यस्थता को निर्देशित किए जाने की संभावना है।
The Contractor shall not suspend or delay the work and proceed with the work with due diligence in accordance with Engineer's decision. The Engineer also shall not withhold any payment, which, according to him, is due or payable to the Contractor, on the ground that certain disputes have cropped up and are likely to be referred to arbitration.
- 10.5 परंतु यह हमेशा कि :
Provided always as follows:
- [क] इसमें इसके ऊपर के पैरा 10.3 से 10.3.7 तक में उल्लिखित कोई प्रावधान संविदा के ऐसे मामले पर लागू नहीं होंगे जहाँ निविदा / प्रस्ताव के स्वीकृति-पत्र में यथा उल्लिखित निविदाकृत राशि रु° 40,00,000/- से कम है।
- [a] Nothing of the provisions in paragraphs 10.3 to 10.3.7 hereinabove would apply in the cases of contracts, where tendered amount appearing in the letter of acceptance of the tender / offer is less than Rs.40,00,000/-.

- [ख] संविदाकार, संविदा की शर्तों के संबंध में विस्तृत औचित्य देते हुए कार्य के निष्पादन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद विवाद-हेतुक उत्पन्न होने से 30 दिन के भीतर और अंतिम बिल तैयार किए जाने से पहले इंजीनियर के समक्ष उठाना होगा।
- [b] The Contractor shall have to raise disputes or differences of any kind whatsoever in relation to the execution of the work to the Engineer within 30 days from the date of occurrence of the cause of dispute and before the preparation of the final bill, giving detailed justifications, in the context of contract conditions.

GC/जीसी – 27

- [ग] संविदा में केवल अनुबद्ध अनुरक्षण वधि के, यदि कोई हो, दौरान उत्पन्न संविदाकार का विवाद संविदा की शर्तों के प्रासंगिक विस्तृत औचित्य सहित इंजीनियर के समक्ष उपर्युक्त अंतिम पूर्ण-प्रमाणपत्र प्ररूप जीसी-2 जारी किए जाने के पूर्व प्रस्तुत किया जाए।
- प्ररूप जीसी-3 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद संविदाकार संविदा से संबंधित किसी भी मामले पर कोई विवाद या मतभेद नहीं उठा सकता है।
- [c] Contractor's dispute if any arising only during the maintenance period, if any, stipulated in the contract, must be submitted to the Engineer, with detailed justification in the context of contract conditions, before the issuance of final completion certificate in Form G.C.-2 ibid.
- No dispute or difference on any matters whatsoever, the Contractor can raise pertaining to the Contract after submission of certificate in form G.C.3 by him.
- [घ] इसमें इसके ऊपर के उप-खंड 10.5[ख] और 10.5[ग] में विहित समय-सीमा से परे उठाए गए संविदाकार के दावा/विवाद पर बाद में इंजीनियर और / या किसी मध्यस्थ द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

- [d] Contractor's claim / dispute raised beyond the time limits prescribed in sub-clauses 10.5[b] and 10.5 [c] hereinabove, shall not be entertained by the Engineer and / or by any Arbitrator subsequently.
- [ड] अध्यक्ष / न्यासी मंडल को उसके ऊपर के खंड 10.3 के अनुसार अपने एकमात्र विवेकाधिकार से संविदाकार को कोई निर्देश किए बिना नए मध्यस्थों का नाम जोड़कर और/या विद्यमान मध्यस्थों का नाम हटाकर मध्यस्थों के पैनल में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
The Chairman / Trustees shall have the right to alter the panel of Arbitrators, vide Clause 10.3 hereinabove, on their sole discretion, by adding the names of new Arbitrators and / or by deleting the names of existing Arbitrators, without making any reference to the Contractor.
- [e] The Chairman / Trustees shall have the right to alter the panel of Arbitrators, vide Clause 10.3 hereinabove, on their sole discretion, by adding the names of new Arbitrators and / or by deleting the names of existing Arbitrators, without making any reference to the Contractor.

(कवर-1 प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाए)/(TO BE SUBMITTED WITH COVER- I OFFER)

कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल/THE BOARD OF TRUSTEES FOR THE PORT OF KOLKATA
निविदा प्रारूप (अमूल्यक)/FORM OF TENDER (UNPRICED)

प्रति/To

प्रबंधक /The Manager (आई एंड सीएफ/I&CF),

हल्दिया गोदी परिसर/ Haldia Dock Complex.

मैं/हम,-----, जिसने/जिन्होंने कार्य-स्थल की जांच की है, रेखाचित्रों का परीक्षण किया है और विनिर्देशों, संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तों तथा निविदा की शर्तों को पढ़ा है, एतद्वारा न्यासी मंडल द्वारा एवं उनकी ओर से तैयार किए गए विनिर्देशन, परिमाण बिल, संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तों तथा रेखाचित्रों के अनुसार हमारी निविदा के पूर्ण एवं अंश: स्वीकार किए जाने की दशा में उपाबद्ध परिमाण बिल में उपवर्णित दर एवं मूल्य पर कार्य आरंभ करने के आदेश की तारीख से -----महीने/ सप्ताह के भीतर निष्पादित किए जाने के लिए अंश: सभी कार्य निष्पादित एवं पूर्ण करने हेतु निविदा एवं वचनबन्ध करता हूँ / करते हैं। मैं / हम उसके साथ उपाबद्ध प्रारूप में निविदा को प्रभावी करने के लिए आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन सहित ऐसे विनिर्देशन, परिमाण बिल, रेखाचित्र एवं संविदा की विशेष और सामान्य शर्तों को शामिल करते हुए एक संविदागत करार करने का भी वचनबन्ध करता हूँ / करते हैं तथा मैं/हम एतद्वारा करार करता हूँ /करते हैं कि जबकि ऐसा संविदागत करार निष्पादित नहीं होता है तब उक्त विनिर्देशन, परिमाण बिल, संविदा की शर्तों तथा लिखित रूप में स्वीकृति सहित निविदा न्यासी मंडल द्वारा और उनकी ओर से संविदा होगी।

I/We _____

having examined the site of work, inspected the Drawings and read the specifications, General & Special Conditions of Contract and Conditions of the Tender, hereby tender and undertake to execute and complete all the works required to be performed in accordance with the Specification, Bill of Quantities, General & Special Conditions of Contract and Drawings prepared by or on behalf of the Trustees and at the rates & prices set out in the annexed Bill of Quantities within _____ months / weeks from the date of order to commence the work and in the event of our tender being accepted in full or in part. I / We also undertake to enter into a Contract Agreement in the form hereto annexed with such alterations or additions thereto which may be necessary to give effect to the acceptance of the Tender and incorporating such Specification, Bill of Quantities, Drawing and Special & General Conditions of Contract and I / We hereby agree that until such Contract Agreement is executed the said Specification, Bill of Quantities, Conditions of Contract and the Tender, together with the acceptance thereof in writing by or on behalf of the Trustees shall be the Contract.

निविदा की कुल राशि रु° जिसे **कवर । प्रस्ताव में उल्लिखित नहीं किया जाए**

THE TOTAL AMOUNT OF TENDER Rs. **NOT TO BE QUOTED IN COVER I OFFER**

(शब्दों में दोहराएं) **कवर । प्रस्ताव में उल्लिखित नहीं किया जाए**

(Repeat in words) **NOT TO BE QUOTED IN COVER I OFFER**

मुझे/हमें कार्य शुरू करने से पहले कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने और खरीद करने हेतु निविदा की स्वीकृति की तारीख से _____ दिनों / महीनों के प्रारंभिक समय की आवश्यकता है।

I/We require _____ days / months preliminary time to arrange and procure the materials required by the work from the date of acceptance of tender before I/ We could commence the work.

मैंने/हमने न्यासी मंडल के प्रबंधक (वित्त), एचडीसी के पास -----की रसीद सं°----- द्वारा बयाना राशि जमा की है।

I / We have deposited with the Trustees' Manager (Finance), HDC, vide Receipt No. _____ of _____ as Earnest Money.

मैं / हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि स्वीकृति के लिए निविदा खुली रहने की अवधि चार महीने से कम नहीं होगी।

I / We agree that the period for which the tender shall remain open for acceptance shall not be less than four months.

दिनांक/Date: (मुहर सहित बोली लगानेवाले के हस्ताक्षर/Signature of Bidder with Seal)

साक्षी/WITNESS:

हस्ताक्षर/Signature: बोली लगानेवाले का नाम/Name of the Bidder :

नाम/Name (स्पष्ट अक्षरों में) पता/Address :
Name(In Block Letters):

पता/Address:

पेशा/Occupation:

कोलकाता पत्तन न्यास / KOLKATA PORT TRUST

हल्दिया गोदी परिसर / HALDIA DOCK COMPLEX

प्रारूप / FORM जी०सी० / G.C.-1

संविदाकार / Contractor-----

पता / Address-----

कार्य पूर्ण करने की तारीख / Date of completion :

प्रिय महोदय / Dear sir(s),

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य, यथा :-

This is to certify that the following work viz :-

कार्य का नाम/ Name of work :

.....
.....

प्राक्कलन सं०/Estimate No. ई०ई०ओ० / E.E.O-----दिनांक/ Dt.....

सी०ई०ओ० /C.E.O.....-----दिनांक./Dt.....

कार्य आदेश सं०/Work Order No.....

आबंटन/Allocation.....

संविदा सं०/Contract No.

जो आपके द्वारा किया गया, वह ऽ धोहस्ताक्षरी की राय में संविदा की शर्तों के ऽ नुसार वर्ष 20----- के -----
-----के -----दिन को हर ऽरह से पूर्ण है और आपसे यह ऽ पेक्षित है कि आप संविदा की
सामान्य शर्तों के खंड 62 के ऽ नुसार एवं संविदा के प्रावधानों ऽ धीन वर्ष 20----- के -----
के -----दिन से वर्ष 20----- के -----के ----- दिन ऽक-----
-----सप्ताह/माह/वर्ष की ऽ वधि ऽक कार्य का ऽ नुरक्षण करें।

which was carried out by you is in the opinion of the undersigned complete in every respect
on the _____ day of _____ 2000 in accordance with terms of the Contract
and you are required to maintain the work as per Clause 62 of the General Conditions of
Contract and under provisions of the Contract for a period of _____ weeks /
months / years

from the _____ day of _____ 2000 to _____ day of _____
2000 .

भवदीय / Yours faithfully,

हस्ताक्षर/Signature.....

(इंजीनियर/ इंजीनियर के प्रतिनिधि / ENGINEER/ENGINEER'S REPRESENTATIVE)

नाम/Name.....

पदनाम/ Designation.....

कार्यालय की मुहर/OFFICE SEAL

कोलकाता पत्तन न्यास / KOLKATA PORT

TRUST

हल्दिया गोदी परिसर / HALDIA DOCK COMPLEX

प्ररूप/FORM जी° सी°/G.C.-2

अंतिम कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र/Certificate of Final Completion

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/The Financial Adviser & Chief Accounts Officer

प्रबंधक(वित्त), हल्दिया गोदी परिसर/The Manager (Finance), Haldia Dock Complex.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य यथा :-

This is to certify that the following work viz:-

कार्य का नाम/ Name of work :

प्राक्कलन सं° /Estimate No. ई°ई°ओ°/ E.E.O.....दिनांक/ dt°

सी°ई°ओ°/ C.E.O-----दिनांक/dt°

कार्य आदेश सं°/Work Order No.....

संविदा सं°/Contract No.

संकल्प एवं बैठक सं° / Resolution & Meeting No.

आबंटन/Allocation :

जो श्री/मेसर्स ----- द्वारा किया गया, वह संविदा की शर्तों के अनुसार अब हर तरह से पूर्ण है और यह कि संविदाकार द्वारा संविदा के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा किया गया है।
which was carried out by Shri/Messrs..... is now complete in every respect in accordance with the terms of the Contract and that all obligations under the Contract have been fulfilled by the Contractor.

हस्ताक्षर/Signature.....
(इंजीनियर/इंजीनियर के प्रतिनिधि/ENGINEER/ENGINEER'S REPRESENTATIVE)

नाम/NAME.....

पदनाम / DESIGNATION.....

कार्यालय की मुहर/OFFICE SEAL

कोलकाता पत्तन न्यास/KOLKATA PORT TRUST

हल्दिया गोदी परिसर /HALDIA DOCK COMPLEX

प्ररूप/FORM जी०सी०/G.C.-3

('NO CLAIM' CERTIFICATE FROM CONTRACTOR)
(संविदाकार का 'कोई दावा नहीं' प्रमाणपत्र)

प्रबंधक / The Manager (आई एंड सीएफ / I&CF)

हल्दिया गोदी परिसर / Haldia Dock Complex

कोलकाता पत्तन न्यास / Calcutta Port Trust

हल्दिया / Haldia.

(ध्यानार्थ / Atten:.....)

प्रिय महोदय / Dear Sir,

मैं / हम एतद्वारा घोषित कर रहा हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से पूरा और अंतिम भुगतान प्राप्त किया है, यथा :-

I / We do hereby declare that I / we have received full and final payment from the Calcutta Port Trust for the execution of the following work viz:-

कार्य का नाम / Name of work:

कार्य आदेश सं० / Work Order No :-

संविदा सं० / Contract No. _____

करार सं० / Agreement No.....दिनांक / Dt.....

मैं/हम उपर्युक्त कार्य की बाब में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रति मेरा / हमारा और कोई दावा नहीं है।

and I / we have no further claim against the Calcutta Port Trust in respect of the above-mentioned job.

भवदीय / Yours faithfully,

(संविदाकार के हस्ताक्षर / Signature of

the Contractor)

दिनांक / Dated _____

संविदाकार का नाम / Name of Contractor.....

पता / Address:.....

(संविदाकार की आधिकारिक मुहर / OFFICIAL SEAL OF THE CONTRACTOR)

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट / KOLKATA PORT TRUST

करार का प्रारूप का प्रोफार्मा / PROFORMA OF FORM OF AGREEMENT

यह करार 20 ----- के -----के -----दिन को एक ओर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल, जो महापोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उसमें किए गए कानूनी उपाकरण के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है एवं जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 15, स्टैंड रोड, कलकत्ता – 700001 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियोक्ता” कहा गया है और इस व्यक्ति में जबकि कोई बांधव संदर्भ द्वारा पवर्जित या उसके प्रतिकूल न हो जबकि इसमें उसके परवर्ती पदधारक शामिल समझे जाएंगे) तथा दूसरी ओर -----के बीच (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविदाकार” कहा गया है और इस व्यक्ति में जबकि कोई बांधव संदर्भ द्वारा पवर्जित या उसके प्रतिकूल न हो जबकि इसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि, परवर्ती पदधारक एवं अनुज्ञा समनुदेशिनी शामिल समझे जाएंगे) निष्पादित किया जाता है।

THIS AGREEMENT made ----- day of _____ 20__ between the "Board Of Trustees for the Port Of Calcutta , a statutory body constituted under Major Port Trust Act ,1963 under the rules there under and statutory modification thereto having Registered Office at 15, Strand Road , Calcutta -700001 (hereinafter called "EMPLOYER" which expression unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor/s in office) on the one part and _____ (hereinafter called the "CONTRACTOR" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his heirs, executors, administrators, representative, successor in office and permitted assigns) of the other part.

चूंकि न्यासी मंडल इस बाब का चिन्तक है कि कठिण कार्य, यथा -----
-----निष्पादित किए जाएँ और उन्होंने ऐसे कार्य के निष्पादन, पूर्णता एवं अनुरक्षण के लिए संविदाकार की निविदा / प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

WHEREAS The TRUSTEES are desirous that certain works should be executed viz _____ and have accepted a Tender/Offer by the contractor for the execution, completion and maintenance of such works .

अब यह संविदाग करार निम्नलिखित का साक्षी है :-

NOW THIS CONTRACT AGREEMENT WITNESSETH as follows :-

1. इस करार में प्रयुक्त शब्दों, अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट संविदा की सामान्य शर्तों में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किए जाते हैं ।

In this agreement words, expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in General Conditions Of Contract, hereinafter referred to.

2. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस करार का अंश माना जाएगा और उसी रूप में इसे पढ़ा एवं समझा जाएगा, यथा :-

i° उक्त निविदा/प्रस्ताव और निविदा/प्रस्ताव की स्वीकृति

ii° रेखाचित्र

iii° संविदा की सामान्य शर्तें

iv° संविदा की विशेष शर्तें (यदि कोई हों)

v° निविदा की शर्तें

vi° विनिर्देशन

vii° परिमाण बिल

viii° सभी पत्राचार जिनके द्वारा आपसी सहमति से किसी भी रूप में संविदा में परिवर्धन, संशोधन, फेरफार या उपांतरण किया जाता है ।

The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz :-

- i. The said Tender/Offer & the acceptance of Tender/ Offer.
- ii. The Drawings.
- iii. The General Conditions Of Contract.
- iv. Special Conditions Of Contract (If any).
- v. The Conditions Of Tender.
- vi. The Specifications.
- vii. The Bill Of Quantities.
- viii. All correspondences by which the contract is added, amended, varied or modified in any way by mutual consent.

3. इसमें इसके पश्चात् यथा उल्लिखित न्यासी मंडल द्वारा संविदाकारों को किए जानेवाले भुगतान के प्रॉफलस्वरूप संविदाकार एतद्वारा न्यासी मंडल के साथ संविदा के प्रावधानों के अनुरूप हर तरह से कार्य निष्पादित, पूर्ण एवं अनुरक्षित करने की प्रसंविदा करता है।

In consideration of the payments to be made by the Trustees to the Contractor as hereinafter mentioned the contractor hereby covenant with the Trustees to execute, complete and maintain the work in conformity in all respects with the provisions of Contract.

4. कार्य के ऐसे निष्पादन, पूर्णता और अनुरक्षण के प्रॉफलस्वरूप न्यासी मंडल एतद्वारा संविदाकार द्वारा विहित समय पर एवं रूप में संविदाकार को भुगतान करने की प्रसंविदा करता है।

The Trustees hereby covenants to pay to the contractor in consideration of such execution, completion and maintenance of the works the Contract Prices at the times and in the manner prescribed by the contractor .

इसकी साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने उपरिलिखित दिन एवं वर्ष को इस पर अपनी सामान्य मुद्रा प्रकृत की है (या अपने हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है) ।

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused their respective Common Seals to be hereunto as fixed (or have set their respective hands and seals) the day and year first above written.

उपरिलिखित दिन एवं वर्ष को यह विलेख निष्पादित किया है ।

have executed these presents on the day and year first above written.

-----की मुहर निम्नलिखित की उपस्थिति में इस पर लगाई गई :
The Seal of-----

was hereunto affixed in the presence of :

नाम/Name :- -----

पता/Address :------

या
उक्त -----

-----द्वारा
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं प्रदत्त :

OR

SIGNED, SEALED AND DELIVERED

By the said -----

In the presence of :

नाम/ Name :- -----

पता/Address:----- :-

न्यासी मंडल की सामान्य मुद्रा निम्नलिखित की उपस्थिति में इस पर प्रकीर्ण की गई :

The Common Seal of the Trustees was hereunto affixed in the presence of :

नाम / Name :- -----

पता / Address :------

भारत का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की, यथास्थिति, कोलकाता/हल्दिया शाखा द्वारा नकदी प्रतिभूति जमा राशि का बदल ₹ 50/- का या इंजीनियर/न्यासी मंडल का विधिक सलाहकार द्वारा यथा विनिश्चय किए गए न्यायिक स्टांप पत्र पर जारी किए जानवाला प्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी (निष्पादन बांड) का प्रोफार्मा।

Proforma Of Irrevocable Bank Guarantee (PERFORMANCE BOND) in lieu of cash Security Deposit, to be issued by the Kolkata/ Haldia Branch, as the case may be, of any nationalised Bank of India on Non-Judicial Stamp Paper worth Rs 50/- or as decided by the Engineer/ Legal Adviser of the Trustees.

संदर्भ/Ref. ----- बैंक गारंटी सं./Bank Guarantee No.-----

तारीख/Date-----

प्रति/To

कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल/The Board of Trustees for the Port of Kolkata,

15, स्ट्रैंड रोड/Strand Road

कोलकाता/Kolkata – 700 001

प्रिय महोदय / Dear Sirs,

कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“नियोक्ता”** कहा गया है और इस व्यक्ति में जबकि उसके संदर्भ या पृथ के प्रतिकूल न हो कि इसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिणी शामिल समझे जाएंगे) -----को,

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय -----में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“संविदाकार”** कहा गया है और इस व्यक्ति में जबकि उसके संदर्भ या पृथ के प्रतिकूल न हो कि इसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और समनुदेशिणी शामिल समझे जाएंगे), दिनांक-----के **नियोक्ता का** कार्यालय आदेश जारी कर एक **संविदा** पृथिनिर्णीत किए जाने, और संविदाकार द्वारा उसे स्पष्टः स्वीकार किए जाने पर “ के लिए रु°----- मूल्य के दिनांक -----के पृथिनिर्णय सं°-----से संबंधित एक **‘संविदा’** का निर्माण किए जाने, कि संविदाकार द्वारा **नियोक्ता** को रु°------(रुपये -----मात्र) के बराबर संपूर्ण संविदा के यथार्थ निष्पादन के लिए संविदा निष्पादन गारंटी परिसिद्ध करने के लिए सहमत होने के प्रतिकूलस्वरूप

In consideration of the Board of Trustees For the Port of Kolkata, - (hereinafter referred to as the “EMPLOYER” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors, administrators and assigns) having awarded to -----

-----, with registered office at----- (hereinafter referred to as the “CONTRACTOR” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and assigns) a CONTRACT by issue of EMPLOYER’S work order dated _____ the same having been unequivocally accepted by the Contractor resulting in a ‘CONTRACT’ bearing Letter Of Award No _____ dated-----Valued at Rs-----for “ ” and the contractor having agreed to prove a Contract performance Guarantee for the faithful performance of the entire Contract equivalent to Rs.------(rupees ----- --- only) to the EMPLOYER.

हम, कोलकाता / हल्दिया स्थित ----- बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय -----में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा गया है और इस व्यक्ति में जबकि कोई बाध उसके संदर्भ या पक्ष के प्रतिकूल न हो जबकि इसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक एवं समनुदेशी शामिल समझे जाएंगे) एतद्वारा -----कि किसी समय यथा पूर्वोक्त रु० -----(रुपये -----मात्र) कि संविदाकार द्वारा देय कोई या सभी राशि नियोक्ता को उसकी मांग पर किसी आपत्ति, आरक्षित, प्रवाद, अवलंबन या अभ्यापत्ति के बिना और/या **संविदाकार** को निर्दिष्ट किए बिना कि दा करने की गारंटी देते हैं एवं वचनबंध करते हैं। नियोक्ता द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई मांग **नियोक्ता** और **संविदाकार** के बीच कोई मभेद होतु हुए भी या किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित होतु हुए भी निश्चयक एवं बाध्यकारी होगी। बैंक नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी के चालू रहने के दौरान इसे प्रसिंह नहीं करने का वचनबंध करता है तथा आगे करार करता है कि इसमें अविष्ट गारंटी नियोक्ता द्वारा अपनी गारंटी उन्मोचित किए जाने कि प्रवर्णीय बनी रहेगी।

We, the _____ Bank, _____, Kolkata/ Haldia having its Head Office at _____ (hereinafter referred to as the "Bank", which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and assigns) do hereby guarantee and undertake to pay the Employer on demand any and all monies payable by the Contractor to the extent of Rs.------(Rupees _____ only) as aforesaid at any time upto _____ without any demur, reservation, contest, recourse or protest and/or without any reference to the CONTRACTOR, Any such demand made by Employer on the Bank shall be conclusive and binding notwithstanding any difference between EMPLOYER and CONTRACTOR or any dispute pending before any Court, tribunal, Arbitrator or any other Authority. The Bank undertakes not to revoke this guarantee during its currency without previous consent of employer and further agrees that the guarantee herein contained shall continue to be enforceable till the Employer discharges his guarantee.

इस गारंटी के अधीन बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावि किए बिना **नियोक्ता** को **संविदाकार** द्वारा **संविदा** के निष्पादन के लिए समय-समय पर समय-सीमा का विस्तार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इस गारंटी को प्रभावि किए बिना नियोक्ता को उनमें निहित किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या संविदाकार के विरुद्ध रहनेवाले किसी अधिकार को समय-समय पर मुलतवी करने और **नियोक्ता** एवं **संविदाकार** के बीच **संविदा** में अविष्ट या विवक्षित किन्हीं प्रसंविदा को प्रवर्तित करने या प्रवर्तित करने से प्रविरत रहने के लिए किसी भी समय कोई या अन्य रूप में उनका प्रयोग करने या **नियोक्ता** को उपलब्ध उपचार या प्रभूति के किसी अन्य उपक्रम का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता द्वारा उपर्युक्त मामले या उनमें से किसी के प्रति निर्देश से या **नियोक्ता** द्वारा किए गए किसी कार्य या लोप या **नियोक्ता** द्वारा दर्शित किसी अन्य उदारता या किसी प्रकार के किसी अन्य ऐसे मामले या बाध के कारण, जिसका प्रभाव इस प्रावधान के न रहने पर विधि के अधीन बैंक को मुक्त करना होता, अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग से बैंक इस विलेख के अधीन अपनी बाध्यता से मुक्त नहीं होगा।

EMPLOYER shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this guarantee from time to time to extend the time for performance of the CONTRACT by CONTRACTOR. Employer shall have the fullest liberty, without affecting this guarantee, to postpone from time to time the exercise of any powers vested in them or any right which they might have against Contractor, and to exercise the same at any time in any manner, and other to enforce or to forebear to enforce any covenants, contained or implied, in the CONTRACT between EMPLOYER and CONTRACTOR or any other course of remedy or security available to EMPLOYER. The Bank shall not be released of its obligations under these presents by any exercise by EMPLOYER of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of any other acts of omission or commission on the part of employer or any other indulgence shown by EMPLOYER or by any other matter or thing whatsoever which under Law would, but for this provision, have the effect of reliving the bank.

बैंक यह भी करार करता है कि **नियोक्ता** अपने विकल्प पर **संविदाकार** के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना और **संविदाकार** के दायित्वों से संबंधित कोई प्रतिक्रिया या अन्य गारंटी **नियोक्ता** के पास होए हुए भी प्रथमः मुख्य ऋणी के रूप में बैंक के प्रति गारंटी प्रदान करने का हकदार होगा।

The Bank also agreed that EMPLOYER at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank as principal debtor, in the first instance without proceeding against CONTRACTOR and notwithstanding any security or other guarantee that EMPLOYER may have in relation to the CONTRACTOR'S liabilities.

जिसमें उसके ऊपर प्रविष्ट किसी बांध के होए हुए भी उस गारंटी के अधीन हमारा दायित्व रु०-----
(रुपये -----मात्र) एक निर्बंधित है और यह -----
-----सहित एवं एक प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यह समय-समय पर ऐसी वधि
के लिए विस्तारित की जाएगी जिसकी ओर से यह गारंटी दी गई है।

Notwithstanding anything contained herein above our liability under this guarantee is restricted to Rs (rupees only) and it shall remain in force up to and including and shall be extended from time to time for such period, on whose behalf this guarantee has been given.

आज वर्ष 20-----के -----के -----दिन को-----
-----में
Dated, this day of20 at
.....

साक्षीगण/WITNESSES

(हस्ताक्षर/Signature) (हस्ताक्षर/Signature)

(नाम/Name) (नाम/Name)

(कार्यालय का पता/Official address) (बैंक की मोहर सहित पदनाम)
Designation with Bank Stamp)

+ □ □ नी □ अधिकार सं°-----के □ नुसार □ □ नी
Attorney as per power of Attorney No.

दिनांक/Dated-----

कोलकाता पत्तन न्यास(कओपीटी), जिसे □समें □सके पश्चात् "प्रिंसिपल/नियोक्ता" कहा गया है
और
-----, जिसे □समें □सके पश्चात् "बोली लगानवाला/संविदाकार" कहा गया है
के बीच

सत्यनिष्ठा समझौता
Integrity Pact

Between
Kolkata Port Trust (KoPT) hereinafter referred to as "**The Principal/ Employer**"
And
..... hereinafter referred to as "**The Bidder/Contractor**"

उद्देशिका/Preamble

प्रिंसिपल निर्धारित संस्थागत प्रक्रियाओं के □ धीन के लिए संविदा □ धिनिर्णीत करने का □ रादा रखता है। प्रिंसिपल देश की सभी सुसंगत विधियों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और □ पने बोली लगानेवाले(लों) और / या संविदाकार(रों) के साथ □ पने संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण □ नुपालन को महत्व देता है।

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for The Principal values full compliances with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relations with its Bidder(s) and/or Contractor(s).

एन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुपालन हेतु निविदा प्रक्रिया और संविदा के निष्पादन की निगरानी करेगा।

In order to achieve these goals, an Independent External Monitor (IEM) appointed by the principal, will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

□ □: □ ब

NOW, THEREFORE,

निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जानेवाली संविदा के चालू रहने के पूर्व, उसके दौरान एवं बाद किसी प्रभाव / पूर्वाग्रहयुक्त संव्यवहार से मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली बनाकर भ्रष्टाचार के सभी प्रकारों से बचने के लिए -

To avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the currency of the contract to be entered into with a view to:-

प्रिंसिपल/नियोक्ता को उच्च लागत और ऐसे कार्य/उपापन/निपटान पर भ्रष्टाचार के विरूपणकारी प्रभाव से बचकर परिभाषित विनिर्देशों/कार्य के दायरे के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर वांछित स्टोर/ उपकरण प्राप्त करने/उनका निपटान करने और/या संविदागत कार्य निष्पादित कराने में समर्थ बनाने तथा **बोली लगानेवाला/संविदाकार** को यह आश्वासन देकर संविदा प्राप्त करने में विश्वसनीय देने या किसी अन्य भ्रष्ट कार्य में लिप्त होने से बचाने, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी भी विश्वसनीय देने या अन्य भ्रष्ट कार्य में लिप्त नहीं होंगे, तथा **प्रिंसिपल/नियोक्ता** निम्नलिखित पारदर्शी प्रक्रिया बनाकर अपने पदाधिकारियों के किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

Enabling the PRINCIPAL/EMPLOYER to get the contractual work executed and/or to obtain/dispose the desired said stores/ equipment at a competitive price in conformity with the defined specifications/ scope of work by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on such work /procurement/ disposal and Enabling BIDDERS/ CONTRACTORS to abstain from bribing or indulging in any corrupt practice in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing and other corrupt practices and the PRINCIPAL/EMPLOYER will commit to prevent corruption, in any form, by its officials by following transparent procedures.

खंड/Section 1 - प्रिंसिपल/नियोक्ता की प्रतिबद्धता/Commitments of the Principal/ Employer

(1) प्रिंसिपल, भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है :

The Principal commits itself to take measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:

क° प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के जरिए निविदा के लिए या किसी संविदा के निष्पादन हेतु स्वयं या किसी अन्य पक्ष के लिए किसी ऐसी सामग्री या आवश्यक हिस्सा की मांग नहीं करेगा, उसके लिए वचन नहीं लेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं है।

a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.

ख° प्रिंसिपल, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोली लगानेवाले (लों) से निष्पक्ष और युक्तियुक्त व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया के दौरान और उससे पहले सभी बोली लगानेवाले (लों) को समान जानकारी प्रदान करेगा और किन्हीं बोली लगानेवाले (लों) को ऐसी गोपनीय/प्रिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके जरिए बोली लगानेवाला (ले) निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके।

b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will, in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.

ग° प्रिंसिपल सभी ज्ञात पूर्वग्रहग्रस्त व्यक्तियों को उक्त प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.

(2) यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के ऐसे आचरण के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) / भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के अधीन एक दंडित अपराध है या यदि उस संबंध में कोई पर्याप्त संदेह होता है, तो प्रिंसिपल, मुख्य संर्कृत अधिकारी को सूचित करेगा और उसके प्रिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal Code (IPC)/Prevention of Corruption (PC) Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

खंड/Section-2 – बोली लगानेवाला(एला)/संविदाकार(एरु) की प्रतिबद्धता
Commitments of the Bidder(s) / Contractor(s)

(1) बोली लगानेवाला(ले) / संविदाकार(गण) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है। वह/वे निविदा प्रक्रिया में अपनी सहभागिता एवं संविदा के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है/हैं।

The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.

क० बोली लगानेवाला(ले)/ संविदाकार(गण) निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान बदले में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के जरिए निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन में संलग्न प्रिंसिपल के किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसी सामग्री या अन्य हिस्सा नहीं देगा/देगा, उसके लिए प्रस्ताव नहीं करेगा/करेंगे, वचन नहीं देगा/देगा जिसका वह/वे विधिक रूप से हकदार नहीं है/हैं।

a. The Bidder(s) /Contractor(s) will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.

ख. बोली लगानेवाला(ले)/संविदाकार(गण) अन्य बोली लगानेवालों के साथ, औपचारिक या अनौपचारिक, कोई प्रकट करार या समझौता नहीं करेगा/करेंगे। यह प्रतिस्पर्धा को रोकने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन लागू करने के लिए विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणीकरण, समनुषंगी संविदा, बोली के प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या किन्हीं अन्य कार्यों पर लागू होता है।

b. The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contract, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.

ग० बोली लगानेवाला(ले)/संविदाकार(गण) सुसंगत आईपीसी/पीसी अधिनियम के अधीन कोई अपराध नहीं करेगा/करेंगे ; उसके अतिरिक्त बोली लगानेवाला(ले)/ संविदाकार(गण) प्रतिस्पर्धा या निजी लाभ के प्रयोजनार्थ अतिवृष्ट या अलैकट्रॉनिक रूप से प्रेषित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और कारबार के ब्योरे के बारे में कारबार संबंध के अंश के रूप में प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई किसी जानकारी या दस्तावेज का अनुचित उपयोग नहीं करेगा/करेंगे या अन्य को नहीं देगा/देगा।

c. The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s)/Contractor(s) will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.

घ° विदेशी मूल का बोली लगानेवाला(ले)/संविदाकार(गण) भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों के, यदि कोई हों, नाम और पते का प्रकटीकरण करेगा/करेंगे। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय प्राप्त बोली लगानेवाला(ले) संविदाकार(गण) विदेशी प्रिंसिपल के, यदि कोई हों, नाम और पते प्रस्तुत करेगा/करेंगे। बोली लगानेवाले(लों)/संविदाकार(रों) द्वारा "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंट से संबंधित दिशानिर्देश" में यथा उल्लिखित प्रिंक्टेड ब्योरे का प्रकटीकरण किया जाएगा। उसके प्रिंक्टेड दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित भारतीय एजेंट / प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान भारतीय रुपए में ही होंगे। "विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट से संबंधित दिशानिर्देश" की प्रतिलिपि अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न और चिह्नित की गई है।

d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principles, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines, all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" is annexed and marked as Annex-A.

ड° बोली लगानेवाला(ले)/संविदाकार(गण) अपनी बोली प्रस्तुत करने के समय संविदा अधिनिर्णय किए जाने के संबंध में ऐसे सभी भुगतान का प्रकटीकरण करेगा/करेंगे जो उन्होंने एजेंटों, दलालों या किन्हीं अन्य बिचौलियों को किया है, करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या करने का प्रस्ताव रखते हैं।

e. The Bidder(s)/Contractor(s) will when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.

(2). बोली लगानेवाला(ले)/संविदाकार(गण) अन्य व्यक्तियों को उपरिलिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएगा/ उकसाएंगे या ऐसे अपराध करने में सहायक नहीं होगा/होंगे।

The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

खंड / Section- 3-निविदा प्रक्रिया सन्निरर्हता और भविष्य की संविदाओं सन्न पवर्जन
Disqualification from tender process and exclusion from future Contracts

यदि ँधिनिर्णय के पूर्व या कार्यनिष्पादन के दौरान बोली लगानेवाला(ले) / संविदाकार(गण) उपर्युक्त खंड-2 के ँतिक्रमण के जरिए या किसी ँन्य रूप में, यथा ँपनी संबंधि ँ विश्वस्त ँ या विश्वसनीय ँ भंग कर ँ है/करे हैं ँ प्रिंसिपल निविदा प्रक्रिया से बोली लगानेवाला(ले) / संविदाकार(गण) को निरर्हि ँ करने या जैसा उपयुक्त समझे, वैसी कार्रवाई करने का हकदार है।

If the Bidder(s)/Contractor(s) before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2 above, or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the tender process or take action as considered appropriate.

खंड / Section 4 - नुकसानी कालिए प्रतिकर / Compensation for damages

(1) यदि प्रिंसिपल ने बोली लगानेवाले(लों) को खंड 3 के ँनुसार ँधिनिर्णय से पहले निविदा प्रक्रिया से निरर्हि ँ कर दिया है ँ प्रिंसिपल बयाना जमाराशि /बोली प्रदिभूदि के बराबर राशि की मांग करने एवं नुकसानी की वसूली करने का हकदार है।

If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/Bid Security.

(2) यदि खंड 3 के ँनुसार प्रिंसिपल ने संविदा का पर्यवसान कर दिया है या यदि खंड 3 के ँनुसार प्रिंसिपल संविदा का पर्यवसान करने का हकदार है ँ प्रिंसिपल संविदाकार से संविदा मूल्य की परिनिर्धारि ँ नुकसानी या निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग करने एवं वसूल करने का हकदार होगा।

If the Principal has terminated the contract according to Section 3 or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

खंड/Section- 5 पूर्वतन ँतिक्रमण/Previous transgression

(1) बोली लगानेवाला यह घोषि ँ कर ँ है कि सत्यनिष्ठा समझौदे पर हस्ताक्षर करने की ँारीख से पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के समनुरूप किसी देश में किसी ँन्य कंपनी या भार ँ में किसी ँन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उद्यम, महापत्तन, सरकारी विभागों के साथ कोई पूर्व ँतिक्रमण नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही साबि ँ कर सक ँ है।

The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 3 years from the date of signing the Integrity pact with any other Company in any country conforming to the anti corruption approach or with any other Public Sector Undertaking / Enterprise in India, Major Ports/ Govt. Departments of India that could justify his exclusion from the tender process.

(2) यदि बोली लगानेवाला इस विषय पर गलत विवरण देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से निरहिता किया जा सकता है या उसपर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जो उचित समझी जाए।

If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as considered appropriate.

खंड/Section 6- सभी बोली लगानेवालों/संविदाकारों/उप-संविदाकारों के साथ समान व्यवहार
Equal treatment of all Bidders/Contractors/Sub-Contractors

(1) बोली लगानेवाला(ले)/ संविदाकार(गण) सभी उप-संविदाकारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप वचनबद्धता की मांग करने और संविदा हस्ताक्षरित करने से पहले प्रिंसिपल के समक्ष उसे प्रस्तुत करने का वचनबंध करता है/करते हैं।

The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.

(2) प्रिंसिपल सभी बोली लगानेवालों, संविदाकारों और उप-संविदाकारों के साथ इसी तरह की समान शर्तों पर करार करेगा।

The Principal, will enter into agreements with identical conditions as this one with all Bidders, Contractors and Sub-contractors.

(3) प्रिंसिपल ऐसे सभी बोली लगानेवालों को निविदा प्रक्रिया से निरहिता करेगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

खंड/Section 7- उल्लंघनकारी बोली लगानेवालों/संविदाकार(रों)/उप-संविदाकार(रों) के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई
Other Legal actions against violating Bidder(s)/ Contractor(s)/ Sub Contractor(s)

इस सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लंघनकारी कार्रवाई ऐसी किसी अन्य विधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जो किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही से संबंधित प्रवृत्त वर्तमान विधि के उपबंधों के अनुसार की जा सकती है।

The actions stipulated in this Integrity pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.

खंड/Section 8 – स्वतंत्र बाहरी मानीटर (आईईएम) की भूमिका

Role of Independent External Monitor(IEM):

(क) मानीटरों का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से एस बांध की समीक्षा करना होगा कि यदि पक्षकार एस समझौते के अधीन बाध्यताओं का पालन करते हैं तो किस सीमा तक।

(a) The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this pact.

(ख) मानीटर पक्षकारों के प्रतिनिधियों के अनुरोधों के अधीन नहीं होंगे और वे अपना कार्य निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करेंगे।

(b) The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and shall perform their functions neutrally and independently.

(ग) दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं कि मानीटर के पास संविदा से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।

(c) Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the contract.

(घ) जैसे ही मानीटर यह देखता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि एस समझौते का प्रतिक्रमण हुआ है तो वह उसकी सूचना प्रिंसिपल द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं कोलकाता पत्तन न्यास के मुख्य संपर्क अधिकारी को देगा।

(d) As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this pact, he will so inform the authority designated by the Principal and the Chief Vigilance Officer of Kolkata Prot Trust.

(ङ) **बोली लगानवाला(ले)/संविदाकार(गण)** स्वीकार करता है/करते हैं कि मानीटर को **बोली लगानवाला/संविदाकार** द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहित **प्रिंसिपल** के सभी संविदा दस्तावेजों तक निर्बंधन के बिना पहुंच का अधिकार है। **बोली लगानवाला/संविदाकार** मानीटर को भी उसके अनुरोध और वैध हिस्से के प्रदर्शन पर अपनी संविदा दस्तावेज तक, यदि कोई हो, निर्बंधित और शीघ्र पहुंच की स्वीकृति देगा। यह उप-ठेकेदारों के लिए भी लागू है। मानीटर, बोली लगानेवाले/ संविदाकार/उप-संविदाकार (रों) की जानकारी और दस्तावेजों की गोपनीयता मानने के लिए संविदागत दायित्व के अधीन होगा।

(e) The BIDDER/ CONTRACTOR(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all contract documentation of the PRINCIPAL including that provided by the BIDDER/ CONTRACTOR. The BIDDER/ CONTRACTOR will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his contract documentation, if any. The same is applicable to sub-contractors. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder/Contractor/ Sub-contractor(s) with confidentiality.

(च) प्रिंसिपल/नियोक्ता पक्षकारों के बीच होनेवाली संविदा से संबंधित सभी बैठकों के बारे में मॉनीटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकों का प्रभाव प्रिंसिपल और संविदाकार के बीच संविदागत संबंधों पर पड़े। पक्षकार मॉनीटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करते हैं।

(f) The Principal/ Employer will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the contract provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor, the option to participate in such meetings.

(छ) मॉनीटर प्रिंसिपल/नियोक्ता/बोली लगानेवाले/संविदाकार द्वारा उसे दिए गए निर्देश या सूचना की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर प्रिंसिपल/नियोक्ता/ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट न्यास के मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रयोजन होने पर समस्यात्मक स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। **बोली लगानेवाला/संविदाकार** उस समझौते के प्रयोजनार्थ नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर(रों) से संपर्क कर सकता है।

(g) The Monitor will submit a written report to the designated Authority of Principal/ Employer/ Chief Vigilance Officer of Kolkata Port Trust within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal/ Employer/ Bidder/ Contractor and should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situation. BIDDER/ CONTRACTOR can approach the Independent External Monitor (s) appointed for the purposes of this Pact.

(ज) जैसे ही मॉनीटर को उस करार का प्रतिक्रमण दिखाई देता है या दिखाई देने का विश्वास होता है, वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को उसकी सूचना देगा और प्रबंधन से समाप्त करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने या अन्य सुसंगत कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। उस संबंध में मॉनीटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। उससे परे, मॉनीटर को पक्षकारों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी विशेष तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से विरत रहें या कार्रवाई होने दें।

(h) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or to take corrective action, or to take other relevant action. The Monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.

(झ) यदि मॉनीटर ने सुसंगत आईपीसी/पीसीए के अधीन किसी अपराध के प्रमाणित संदेह के बारे में प्रिंसिपल को रिपोर्ट की है और प्रिंसिपल/नियोक्ता ने युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की है या मुख्य संपर्क अधिकारी को रिपोर्ट नहीं की है, तो मॉनीटर यह जानकारी सीधे केंद्रीय संपर्क आयुक्त, भारत सरकार के पास भेज सकता है।

(i) If the Monitor has reported to the Principal substantiated suspicion of an offence under the relevant IPC/PCA, and the Principal/ Employer has not, within reasonable time, taken visible action to proceed against such offence or reported to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner, Government of India.

(ज) 'मॉनीटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे

(j) The word 'Monitor' would include both singular and plural.

खंड/Section 9 – निष्पक्षता की सुविधा/Facilitation of Investigation:

इस समझौते के किन्हीं प्रावधान या कमीशन के भुगतान के क्रम के किसी आरोप के मामले में प्रिंसिपल/नियोक्ता या उसके अधिकरण बोली लगानेवाले/संविदाकार की लेखा-बहियों सहित उनके सभी दस्तावेजों की जांच करने के हकदार होंगे तथा बोली लगानेवाला/संविदाकार आवश्यक जानकारी और दस्तावेज **अंग्रेजी में** उपलब्ध कराएगा एवं ऐसी जांच के प्रयोजनार्थ सभी संभव सहायता करेगा।

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the PRINCIPAL/EMPLOYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/CONTRACTORS and the BIDDER/CONTRACTOR shall provide necessary information and documents **in English** and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

खंड/Section 10 – समझौते की वधि/Pact Duration:

यह समझौता जब शुरू होता है जब दोनों पक्षकार विधिक रूप से इसे हस्ताक्षर करते हैं और इसका विस्तार 2 वर्ष तक या वारंटी वधि सहित संविदा के पूर्ण निष्पादन तक, इनमें से जो भी बाद में हो, होगा। यदि बोली लगानेवाला/संविदाकार सफल रहा है, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता संविदा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।

The pact beings with when both parties have legally signed it and will extend upto 2 years or the complete execution of the contract including warranty period whichever is later. In case bidder/contractor is unsuccessful this Integrity Pact shall expire after 6 months from the date of signing of the contract.

यदि इस समय के दौरान कोई दावा किया जाता है/दायर किया जाता है, तो वह जब तक बाध्यकारी होगा और यथा ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते के व्यपग होने के बावजूद वैध बना रहेगा जब तक कि इसे केओपीटी के अध्यक्ष द्वारा खारिज/वधारे नहीं किया जाता है /

If any claim is made/lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged/determined by Chairman, KoPT.

खंड/Section 11 – अन्य प्रावधान /Other Provisions:

(1) यह करार भारतीय विधि के अधीन है। कार्यनिष्पादन और अधिकारिता का स्थान कोलकाता में प्रिंसिपल का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है।

This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal in Kolkata.

(2) परिवर्तन और पूरक एवं समाप्ति की नोटिस लिखित रूप में अंग्रेजी में तैयार किया जाना पेशकश है।

Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing in English.

(3) यदि संविदाकार कोई भागीदारी फर्म या सहायता संघ है, तो यह समझौता सभी भागीदारों या सहायता संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.

(4) यदि इस करार के एक या कई प्रावधान वैध हो जाते हैं, तो इस करार का शेष वैध रहा है। ऐसे मामले में, पक्षकार अपने मूल आशय के प्रति एक समझौता करने का प्रयास करेंगे।

Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the reminder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(प्रिंसिपल के लिए और उसकी ओर से)	(बोली लगानेवाले/संविदाकार के लिए और उसकी ओर से)
(For & on behalf of the Principal)	(For & on behalf of Bidder/Contractor)

(कार्यालय की मुहर)
(Office Seal)

(कार्यालय की मुहर)
(Office Seal)

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

साक्षी/Witness 1:

(नाम और पता)
(Name & Address)

.....

.....

साक्षी/Witness 2:

(नाम और पता)
(Name & Address)

.....

.....

□ नुबंध-क/ANNEXURE-A

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

GUIDELINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS

1.1 सभी निविदाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों का □ निवार्य रजिस्ट्रीकरण होगा। जो एजेंट केओपीटी के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं है वह विहित आवेदन-फ़ार्म में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

There shall be compulsory registration of Indian agents of Foreign suppliers for all Tenders. An agent who is not registered with KoPT shall apply for registration in the prescribed Application-Form.

1.2 केओपीटी द्वारा आदेश दिए जाने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत एजेंट प्रिंसिपल द्वारा प्रदत्त ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित फोटोस्टैट प्रॉप (नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित)/मूल प्रॉप फाउल करेगा जो एजेंसी करार की पुष्टि करता हो एवं एजेंट द्वारा उपभोग की जानेवाली हैसियत उसे प्रदान करता हो तथा प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को प्रदान किए जानेवाले कमीशन/पारिश्रमिक/ वेतन/प्रतिधारण-शुल्क की पुष्टि करता हो ।

Registered agents will file an authenticated Photostat copy (duly attested by a Notary Public)/Original certificate of the principal confirming the agency agreement and giving the status being enjoyed by the agent and the commission/ remuneration/salary/retainer ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by KoPT.

1.3 जहां भारतीय प्रतिनिधि अपने प्रिंसिपल की ओर से सूचित करता है और विदेशी पार्टियां यह कथित करती हैं कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रही हैं एवं भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर या प्रतिधारक के रूप में कार्य कर रहा है तो आदेश को अंतिम रूप देने के पूर्व पक्षकार(यानी प्रिंसिपल) द्वारा इस आशय का एक लिखित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Wherever the Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e. Principal) before finalizing the order.

2.0 भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों का विवरण का, यदि कोई हो, प्रकटीकरण **DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/REPRESENTATIVES IN INDIA. IF ANY.**

2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer:

2.1.1 भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों के, यदि कोई हों, नाम और पते तथा प्रिंसिपल के साथ अभिबंधन के लिए दिए गए प्राधिकरण और प्राधिकार की सीमा । यदि एजेंट / प्रतिनिधि कोई विदेशी कंपनी हो, तो यह पुष्टि की जाए कि वह वास्तविक सारवान कंपनी है और उसके ब्योरे प्रस्तुत किए जाएँ।

The name and address of the agents/representatives in India, if any and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agent/representative be a foreign Company, it is to be conformed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.

2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उत्कथित मूल्य में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

The amount of commission/ remuneration included in the quoted price(s) for such agents/ representatives in India.

2.1.3 निविदाकर्ता का इस आशय का पुष्टीकरण कि भारत में उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक का, यदि कोई हो, भुगतान केओपीटी द्वारा केवल भारतीय रुपयों में किया जाए।

Confirmation of the Tenderer that the commission/remuneration if any, payable to his agents/ representatives in India, is to be paid by KoPT in Indian Rupees only.

2.2 भारतीय राष्ट्रीयता कनिविदाकर्ता पनप्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे

Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their offers:

2.2.1 विदेशी प्रिंसिपल की राष्ट्रीयता और उनकी स्थिति निर्दिष्ट कर दे, यानी क्या वे प्रिंसिपल का प्राधिकार-पत्र धारण करनेवाले निर्माता या निर्माता के एजेंट हैं जिसके द्वारा एजेंट को सीधे या एजेंटों/प्रतिनिधियों के जरिए भारत में निविदा के प्रत्युत्तर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, उनके नाम और पते।

The name and address of the foreign principals indicating their nationality as well as their status, i.e. whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or through the agents / representatives.

2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा स्वयं के लिए उत्कथित मूल्य में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

The amount of commission/remuneration included in the price(s) quoted by the Tenderer for himself.

2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रिंसिपल का इस आशय का पुष्टीकरण कि उत्कथित मूल्य में निविदाकर्ता के लिए आरक्षित कमीशन /पारिश्रमिक का, यदि कोई हो, भुगतान भारत में केओपीटी द्वारा समतुल्य भारतीय रुपये में किया जाए।

Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/remunerations, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), is to be paid by KoPT in India in equivalent Indian Rupees.

2.3 किसी भी मामले में, संविदा को कार्यान्विष्ट किए जाने की स्थिति में, भुगतान की शर्तों में संविदा के अधीन बाध्यताओं से मुक्ति के बाद 90 दिन की समाप्ति पर भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों को भारतीय रुपये में देय कमीशन/ पारिश्रमिक के, यदि कोई हो, भुगतान का प्रावधान रहेगा।

In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/remuneration, if any payable to the agents/representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 days after the discharge of the obligations under the contract.

2.4 उपर्युक्त पैरा 2.0 में यथापेक्षित सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में चूक करने से संबंधित निविदा को स्वीकृति के लिए दायी होगी या किसी संविदा के कार्यान्वयन की दशा में वह केओपीटी द्वारा पर्यवसान के लिए दायी होगी। इसके अलावा केओपीटी के साथ कारबार संबंधी लेन-देन पर पाबंदी लगाने के लिए शास्ति या नुकसानी होगी या कथित राशि का भुगतान करना होगा।

Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph-2.0 above will render the concerned tender liable for rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by KoPT. Besides this there would be a penalty of banning business dealings with KoPT or damage or payment of a named sum.

-----X-----